


बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा:
प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में
एक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
के अन्तर्गत
पी-एच0 डी0(शिक्षा)
की उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

1998-99



निर्देशिका

डॉ० (श्रीमती) मृदुला भदौरिया
उपाचार्य शिक्षा विभाग,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

शोध कर्ता

रंजना मिश्रा
एम० ए०, एम० ए८०,
डी० सी० एस०

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रंजना मिश्रा ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी की पी-एच0 डी0 (शिक्षा) की उपाधि हेतु “बलिकाओं की प्राथमिक शिक्षा : शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में एक अध्ययन” शीर्षक पर मेरे निर्देशन एवं निरीक्षण में कार्य किया है, उन्होंने विश्वविद्यालय के नियमानुसार अपनी उपस्थिति पूरी करते हुए अपना शोध सम्पन्न किया है। प्रस्तुत शोध कार्य उनका मौलिक कार्य है, जो कि पूर्णरूपेण उन्हीं के परिश्रम का प्रतिफल है।

Gopaladatta

डा० (श्रीमती) मृदुला भदौरिया

उपाचार्य, शिक्षा विभाग

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,

कानपुर।

घोषणा-पत्र

मैं रंजना मिश्रा यह घोषणा करती हूँ कि पी-एच० डॉ० (शिक्षा) की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध “बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में एक अध्ययन” मेरा मौलिक कार्य है, जिसे मैंने किसी अन्य उपाधि हेतु किसी भी संस्था में प्रस्तुत नहीं किया है और यह आज तक अप्रकाशित है।

शोधकर्ता

Ranjana Mishra
रंजना मिश्रा

प्राककथन

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में सभी विकासात्मक कियाओं में विशेष रूप से अत्याधिक आवश्यकता स्त्रियों के विकास की है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति को उसकी स्त्रियों के सम्मान और स्थिति से जाना जा सकता है। किन्तु हमारे देश में स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यन्त निम्न है। स्वतन्त्रता के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि एक शिक्षित स्त्री ही अपने कर्तव्यों का भली-भौति निर्वाह कर सकती है। स्त्रियों की शिक्षा भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पुरुषों की। यद्यपि हमारी सरकार के द्वारा स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं; फिर भी शिक्षित स्त्रियों का प्रतिशत बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षा की सुविधायें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों दृष्टि से अपर्याप्त हैं। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा और उसमें भी स्त्री शिक्षा अत्यन्त पिछड़ी हुई है। यह स्थिति तब है जबकि सम्पूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए शोधकर्त्ता ने 'बलिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के सन्दर्भ में अध्ययन' किया।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध हेतु सर्वप्रथम में अपनी निर्देशिका डा० (श्रीमती) मृदुला भदौरिया, उपाचार्य शिक्षा विभाग श्री शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ। जिनके मित्रतापूर्ण सानिध्य, स्नेहपूर्ण पथ प्रदर्शन तथा स्वस्थ निर्देशन के द्वारा यह शोध कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सका।

तत्पश्चात् मैं प्राथमिक विद्यालयों के उन समस्त प्रधानाचार्यों, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य हेतु आवश्यक आंकड़े प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। साथ ही मैं उन सभी छात्राओं तथा उनके अभिभावकों की आभारी हूँ जिन्होंने इस अध्ययन में भाग लिया।

अन्त में मैं अपने परिवारीजनों एवं मित्रों व सहयोगियों की हृदय से
आभारी हूँ जिनके प्रोत्साहन तथा उदारतापूर्ण सहयोग ने मुझे शोध कार्य को पूर्ण
करने में सहायता प्रदान की ।

Ranjana Mishra
रंजना मिश्रा

अनुक्रमणिका

अध्याय

पृष्ठ संख्या

- प्रथम अध्याय: 1. प्रस्तावना 1-48
2. संविधान में शिक्षा
 3. समस्या का औचित्य
 4. समस्या के उद्देश्य
 5. परिकल्पनायें
 6. समस्या का परिसीमन
 7. समस्या का पारिभाषीकरण
 - अध्ययन में प्रयोग किये गये शब्दों की परिभाषा
 - प्राथमिक शिक्षा
 - शिक्षा का सार्वभौमीकरण
 8. प्राथमिक शिक्षा का महत्व
 9. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की अवधारणा
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा अन्य उपाय
 - महत्व के विशेष क्षेत्र
 - जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
 - सभी के लिए शिक्षा
 - सभी के शिक्षा के लक्ष्य
 - आपरेशन ब्लैक बोर्ड
 - कानपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की स्थिति
 - आपरेशन ब्लैक बोर्ड
 - माध्याह्न भोजन योजना

►►► स्कूल चलो अभियान

►►► 1997-98 के लिए प्रस्तावित नयी
योजनायें

- राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा
की उपलब्धि
- सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की समस्यायें
 - वित्त की समस्या
 - सामाजिक आर्थिक अवरोधों की रूपरेखा
 - क्षेत्रीय और लिंग सम्बन्धी विषमतायें
- सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सार्थक प्रयास

10. बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा

- लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता
- बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष प्रयास

द्वितीय अध्याय: सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

49-67

तृतीय अध्याय: शोध प्रविधि

68-71

- न्यादर्श
- न्यादर्शन
- प्रदत्त संकलन की विधि
- उपकरण तथा उसका प्रशासन
- ऑकड़ों का विश्लेषण

चतुर्थ अध्याय: ऑकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण

72-83

पंचम अध्यायः ► निष्कर्ष 84-92

► व्याख्या

► अग्रिम शोध हेतु सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 93-101

परिशिष्ट 102-109

तालिकाओं एवं रेखाचित्रों की सूची

प्रथम अध्याय-क्रमांक

पुष्ट संख्या

तालिका 1.1 साक्षरता दरें	12
तालिका 1.2 ड्राप आउट दरें	14
तालिका 1.3 प्राथमिक विद्यालयों की चयनित विशेषतायें (1978 व 1986)	15
तालिका 1.4 नामांकन: वार्षिक वृद्धि दर	21
तालिका 1.5 पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यय	34
तालिका 1.6 प्राथमिक शिक्षा में प्रति छात्र व्यय	35
तालिका 1.7 छ: वर्ष और उससे अधिक आयु की गैर नामांकित जनसंख्या के गैर नामांकन के कारण	37
तालिका 1.8 ड्राप आउट के कारणों के अनुसार ड्राप आउट करने वालों का प्रतिशत	39
तालिका 1.9 शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या	43
तालिका 1.10 साक्षर व निरक्षर पुरुषों का क्षेत्रानुसार वितरण	44

चतुर्थ अध्याय-क्रमांक

तालिका 4.1 प्राथमिक स्तर पर नामांकन	72
तालिका 4.2 कक्षावार छात्राओं की उपस्थिति	73
तालिका 4.3 सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं की स्थिति	75

तालिका 4.4	बालिकाओं की विद्यालय से अनुपस्थिति के कारण	77
तालिका 4.5	सत्र के मध्य में बालिकाओं द्वारा पढ़ाई छोड़ देने के कारण	79
तालिका 4.6	छात्राओं की उपलब्धि का स्तर सन्तोषजनक न होने के कारण	80
तालिका 4.7	शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में आकांक्षा स्तर	81
तालिका 4.8	विद्यालय भवन तथा उपकरणों के प्रति सन्तुष्टि का स्तर	82
रेखाचित्र 4.1	सत्र 1995-96 में छात्राओं की औसत उपस्थिति	74
रेखाचित्र 4.2	सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली छात्राओं का प्रतिशत	76

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा व्यष्टि, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। यह मनुष्य को वह सब प्राप्त करने में सहायता करती है जिसके कि वह योग्य है और जिसकी वह आकंक्षा करता है। राष्ट्र की सम्पन्नता, शक्ति, उन्नति एवं प्रगति का शिक्षा से गहरा सम्बन्ध है। शिक्षा के प्रसार से समाज की सांस्कृतिक प्रगति तथा अध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है शिक्षा के प्रसार से ही समाज में न्याय, स्वतन्त्रता तथा शान्ति जैसे आदर्शों को विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षा आधुनिक जीवन प्रणाली का सबसे प्रमुख संसाधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान का संचय करता है। इसके अभाव में व्यक्ति अधूरा है। वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है क्योंकि इसके माध्यम से ही वह अपने को अधिक गुणवान बनाकर विकास के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सम्मान, गौरव एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है तथा इसके द्वारा ही वह शक्ति प्रस्फुटित होती है जो उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत बनाती है। अतः शिक्षा को विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हथियार बनाना समय की प्रबल मांग है।

शिक्षा का प्रभाव देखने के लिए हमें अपने चारों ओर देखना होगा, जो कुछ हमें दिखाई देता है वह शिक्षा का ही परिणाम है शिक्षा के अभाव में आज संसार की क्या स्थिति होती, इसका सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से नये विचारों का जन्म होता है। नवीन विचार शिक्षा के फलस्वरूप ही प्रस्फुटित होते हैं। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा ही समाज का निर्माण

होता है। यदि शिक्षा का अभाव हो जाय या इसका स्तर निम्न हो जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं की समाज की प्रगति में बाधा पहुँचेगी अर्थात् शिक्षा ही मानव समाज की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है।

शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिर्मय सुसंस्कृत पक्ष है, जिससे उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा मानव के विकास की जन्मजात प्रक्रिया है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, करता है, अपनाता है और अनुभव करता है उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के फलस्वरूप ही उसके जीवन में पूर्णता आती है। शिक्षा के माध्यम से ही संसार की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति सम्भव है। डी० वी० ने सत्य ही कहा की भोजन की जो महत्ता और उपयोगिता शरीर के लिए है वही शिक्षा की सामाजिक जीवन के लिए है।

लॉक के मत है, "पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है।" बालक जन्म के समय असहाय और अबोध होता है, लेकिन धीरे-धीरे निरन्तर प्रयास द्वारा तथा शिक्षण की सीढ़ी पर चढ़ते हुए वह एक दिन उन्नत सामाजिक प्राणी बन जाता है। मानव की शिक्षा उसी समय प्रारम्भ हो जाती है, जब वह एक नवजात शिशु के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है और अपने चारों तरफ के वातावरण से परिचय प्राप्त करना चाहता है। वह अपने चारों ओर अज्ञात जिज्ञासा और उत्कंठा से देखता है, अपने माता-पिता तथा अन्य लोगों को समझने का प्रयत्न करता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और अपने चारों ओर हो रही घटनाओं की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार देखना, सुनना और अपने चारों ओर की बातों में रुचि लेना ही बालक की प्रारम्भिक शिक्षा होती है प्रकृति की गोद में खेलता हुआ, बालक अनेक बातें सीखता है। वह एक अज्ञात जिज्ञासा से सक्रिय रहता है, निष्क्रिय भाव से बैठा नहीं रहता। इस प्रकार प्रकृति उसे स्वयं शिक्षा देती है।

अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के अभाव में मानव-जीवन की कल्पना करना असम्भव है। सृष्टि के प्रादुर्भाव से लेकर अब तक शिक्षा का प्रभाव एवं अस्तित्व भली प्रकार खोकार किया जा रहा है। जब तक संसार में मानव का अस्तित्व बना रहेगा तब तक शिक्षा की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। मानव-जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। प्रत्येक मनुष्य एक विद्यार्थी है और उसका समस्त जीवन-काल एक शिक्षा-काल है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सिखाता है। जिस परिस्थिति या वातावरण में मनुष्य रहता है उसमें वह किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ तक कि वह पशु-पक्षियों से भी शिक्षा ग्रहण करता है।

नवम्बर 1997 में शिक्षा पर तीन दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने कहा, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का जरिया है।¹ यह असन्दिग्ध है। जिन राष्ट्रों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या अधिक है उनसे भारत सरीखे देशों की तुलना करने से यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा का कितना अधिक महत्व है? भारत की 52 प्रतिशत आबादी ही साक्षर है और विडंबना यह है कि साक्षरता का जो स्तर है वह अत्यंत दयनीय है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पिछले 50 सालों में इस बात के लिए गंभीरता से कोई ध्येय ही नहीं की गई कि देश के लोगों को सही ढंग से शिक्षित किया जाए। सही शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो वरित्रवान नागरिकों का निमार्ण कर सके। बात चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो अथवा उच्च शिक्षा की, दोनों ही स्तरों पर स्थिति चिंताजनक है—और इसका मूल कारण है उस शिक्षा नीति में आमूलदूल परिवर्तन न किया जाना जिसे मैकाले ने 1835 में

1- दैनिक जागरण 13 नवम्बर 1997।

बनाया था । निःसदैह भारतीय शिक्षा आजादी के 50 वर्षों बाद भी मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति के दुष्प्रभावों को दूर करने में सफल नहीं हो सकी है ।

भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी राज की विरासत है । अब सरकार ने यह तय किया है कि समस्त प्रणाली को नये तरीके से गढ़ा जाये जो देश को 21वीं सदी में ले जाने में कारगर साबित हो । शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को संसद ने 1986 में मंजूरी दी । इस नयी नीति को लागू करने के लिये क्रियात्मक कार्यक्रम की दिशा में सरकार ने खंड विभाजित समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है । सन् 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण की स्थापना की गयी जिसका काम देश में 15 से 35 वर्ष के लोगों के 80 प्रतिशत को सन् 1995 तक साक्षर बना देने के राष्ट्रीय साक्षरता के उद्देश्य को पूरा करना है । स्कूल छोड़ देने वालों की दर अभी भी बहुत अधिक अर्थात् 76.6 प्रतिशत है । प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देने वालों की अधिकतम दर 52.1 प्रतिशत है ।

मैकाले ने जो शिक्षा नीति तैयार की थी उसका उद्देश्य भारत का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजियत का समर्थक हो आज भी अंग्रेजियत प्रधान शिक्षा का ही बोलबाला है परिणामतः भारतीयता की उपेक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता की अनदेखी हो रही है । जिस देश की शिक्षा व्यवस्था वहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता की अनदेखी करती हो वह सामाजिक परिवर्तन का साधन नहीं बन सकती । भारत में शिक्षा का जो स्तर है उसे देखते हुए यदि यह कहा जाय कि भारतीय शिक्षा प्रणाली सामाजिक परिवर्तन के स्थान पर सामाजिक विषमता को बढ़ाने में सहायक बन रही है तो अतिश्योक्ति न होगी । जब भारत की वर्तमान पीढ़ी समान शिक्षा से वंचित है तो फिर असमान वर्गों का निर्माण होने से कैसे रोका जा सकता है? महानगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति नितांत दयनीय है । भारत में प्राथमिक शिक्षा की कितनी अवहलना हुई है, इसका पता इससे चलता है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात दर्ज

होने के बावजूद पिछले 50 वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्राथमिक शिक्षा की इस अवहेलना के भारत कों गम्भीर परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 50 हजार करोड़ रुपये जुटाने की बात कही गयी है लेकिन ऐसा हो सकेगा, इस बात की संभावना कम ही है।

संविधान में शिक्षा:-

सन् 1947 में स्वतंत्रता के साथ भारत को विरासत में मिलने वाली शिक्षा व्यवस्था न केवल मात्रात्मक रूप से सीमित थी अपितु उसमें क्षेत्रीय और ढांचागत असन्तुलन भी विद्यमान थे। केवल 14% जनसंख्या साक्षर थी और प्रत्येक 3 में से केवल 1 बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नामांकित था। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानकर, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार तथा पुनर्संरचना की आवश्यकता अनुभव की गयी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद शैक्षिक विकास के राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं :—

संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित "राज्य" शब्द की व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि "राज्य" शब्द के अन्तर्गत भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार तथा व्यवस्थापिका एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों अथवा केन्द्र सरकार के अधीन समस्त स्थानीय अधिकार अन्य सत्तायें सम्मिलित हैं।

संविधान के अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है 'भारत के किसी प्रदेश अथवा उसके किसी भाग में रहने वाला नागरिकों का ऐसा कोई भी वर्ग जिसकी अपनी एक भिन्न भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे इन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार है।' अनुच्छेद 29(2) यह व्यवस्था करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी अधार पर किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में, प्रवेश से बंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 30(1) उपबन्धित करता है कि 'धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसन्द की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा। जबकि अनुच्छेद 30(2) उपबन्धित करता है कि राज्य किसी भी शैक्षिक संस्था को अनुदान प्रदान करने में इस अधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। अनुच्छेद 350-A उपबन्धित करता है कि 'प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय सत्ता भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मात्र भाषा में शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगी।'

अनुच्छेद 46 में जनसंख्या के पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की विशेष रूप से देखभाल करना राज्य का दायित्व घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 'राज्य जनता में दुर्बलतर अंगों में मुख्यतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।'

समस्या का औचित्य:-

प्राथमिक शिक्षा के मामले में पूरा देश पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ यह समस्या और विकराल होती जा रही है। बाल मजदूरों के लिए काम रही दिल्ली की संस्था सेंटर आफ कन्सर्न फार चाइल्ड लेबर ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि सन् 2002 तक 6 से 10 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 4 खरब 40 अरब रुपये का प्रावधान करना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 6-10 वर्ष के बीच के साढ़े दस करोड़ में से तीन करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल न जाने वालों में 60% बच्चे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और मध्य प्रदेश के हैं। देश के करीब 48000 गांवों में प्राथमिक शिक्षा के साधन सुलभ नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शिक्षा पर व्यय को नौवी योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है जो अभी केवल 3.7% है। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए सन् 2005 तक 2 करोड़ 40 लाख बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने होंगे।

हमारे देश में 1951 में महिलाओं में साक्षरता की दर 8.86 प्रतिशत थी जो कि 1991 में बढ़कर 39.19 प्रतिशत हो गयी। यह सन्तोषजनक नहीं है। आज भी देश की 60 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। जिसका प्रभाव देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास पर पड़ता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए यह परम आवश्यक है कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाये। सरकार को यह स्वीकार करना चाहिये कि समस्त योजनाओं में शिक्षा योजना और शिक्षा योजना में स्त्री शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक और तो देश में बालिका विद्यालयों की संख्या कम है दूसरी ओर जो विद्यालय है उनमें बालिकाओं का नामांकन भी बहुत कम

है। इनमें भी अधिकांश बालिकायें अनुपस्थित रहती हैं। कुछ बालिकायें वर्ष के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं तो कुछ एक या दो कक्षा पढ़ने के बाद। स्थिति यह है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वालों में से आधे बच्चे पांचवीं तक पहुंचते—पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते हैं और आठवीं तक पहुंचते—पहुंचते दो तिहाई। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लड़कियों को जहाँ घर के काम काज के लिए स्कूल छुड़ा दिया जाता है। वहीं लड़कों को जीविकोपार्जन के लिये। हमारे समाज के प्रौढ़ वर्ग में यह धारणा बहुत गहराई तक समाई हुई है कि बालिकाओं का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी के अन्दर है। अतः उन्हें पढ़ने—लिखने के स्थान पर घर का काम—काज करना चाहिये। यह धारणा बालिकाओं की शिक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिससे पहली कक्षा में नामांकित होने वाली छात्राओं में से बहुत कम छात्रायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर पाती हैं। अतः शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कानपुर शहर के सन्दर्भ में बालिकाओं के नामांकन की क्या स्थिति है? उनमें कितनी छात्रायें अनुपस्थित रहती हैं? छात्राओं के नामांकन, उपस्थिति एवं अवरोधन को कौन—कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आदि जानकारियां प्राप्त करने के लिये शोधकर्त्ता ने इस विषय को अनुसंधान के लिये चुना है।

समस्या के उद्देश्यः—

1. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की अनुपस्थिति का अध्ययन करना।
3. पहली से पांचवीं कक्षा के मध्य बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन करना।
4. बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं अवरोधन को प्रभावित करने वाले तत्त्वों का अध्ययन करना।

परिकल्पनायें:-

शोध विषय के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में एक ऐसा सिद्धान्त बना लेता है जिसके बारे में वह कल्पना करता है कि यह सिद्धान्त सम्भवतः उसके अनुसंधान का आधार सिद्ध हो सकता है। ऐसे काल्पनिक निष्कर्ष को वह अन्तिम मानकर नहीं चलता वरन् उसकी प्रमाणिकता को वह अपने अनुभव तथा वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करता है।

परिकल्पना दो या अधिक चरों के अनुमान पर आधारित तर्क पूर्ण, कार्यक्षम, प्रस्तावित और परीक्षण योग्य कथन है जो यह बताता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। जांच के बाद यह कथन सही भी हो सकता है और गलत भी।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत अनुसंधान में 2 नकारात्मक व 2 सकारात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया। प्रस्तुत शोध में समाज के अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया:-

1. प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन स्थिति संतोषजनक नहीं है।
2. प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की सामान्य उपस्थिति संतोषजनक नहीं है।
3. प्राथमिक स्तर पर सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने (झाप आउट) वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है।
4. बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं।

समस्या का परिसीमनः-

1. यह अध्ययन कानपुर शहर तक सीमित है।
2. यह अध्ययन कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है।

समस्या का पारिभाषीकरणः-

देश व समाज की बहुमुखी उन्नति के लिए शिक्षा के स्तर का गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से उच्च होना आवश्यक है। किन्तु हमारे देश में शिक्षा की दशा अत्यन्त शोचनीय है, शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा और उसमें बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा सभी प्रकार से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इसी कारण शोधकर्त्ता ने निम्नलिखित समस्या को अध्ययन हेतु चुना है।

“बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सन्दर्भ में एक अध्ययन।”

► अध्ययन में प्रयोग किये गये शब्दों की परिभाषा:-

समस्या को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसके विभिन्न शब्दों की व्याख्या आवश्यक है। प्रस्तुत अनुसंधान में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है :-

»» प्राथमिक शिक्षा:-

प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है।

►► शिक्षा का सार्वभौमीकरण:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार, शिक्षा के सार्वभौमीकरण से तात्पर्य है कि 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पैदल सैर की दूरी (निवास स्थान से एक किलोमीटर की परिधि) के अन्तर्गत सरलतापूर्वक विद्यालय सुलभ हो ।

प्राथमिक शिक्षा का महत्व:-

राबर्ट ब्याउनिंग के अनुसार, "हम सबको अपना बचपन एक भूले हुये गीत की तरह याद आता है और पाठशालाएं किसी परी कथा के खलनायक की तरह ।" मान लिया जाए कि ब्याउनिंग का सामाजिक परिवेश कुछ दूसरा था और हमारे देश की शिक्षा-दीक्षा का उन्हें कुछ खास अंदाज नहीं था किर भी हम अपने प्रारंभिक दिनों को किस तरह याद करते हैं यह गौर करने की बात है । हममें से जिनको अपने स्कूली दिनों की आज भी याद हैं वे आम तौर पर इसे प्रतीकों की रेखाओं से रचे गए एक धुंधले दृश्य के रूप में पाते हैं, ज्यादातर यादें बरगद, नीम आम या पीपल के पेड़ों तले धास को छूकर आती गीली हवा के स्तर में धुलीमिली 'अ' से अनार और 'आ' से आम की आवाजों से जुड़ी हैं या सरकारी इमारतों में ढूंस-ढूंस कर भरे बच्चों की, आप्त वाक्यों और गांधी जी के कैलेंडरों से निकाली गई तस्वीरों के नीचे लगी कक्षाओं के बिंब मन में उभरते हैं। लेकिन शिक्षा के उन प्रारंभिक दिनों की उपलब्धि में हम अक्षर ज्ञान, मार्टर जी की संटियों और बड़े इंतजार के बाद आने वाले खेल या छुट्टी के घटि के खुशी के अलावा कुछ नहीं जोड़ पाते ।

प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की आधार शिला है । यह देश के राष्ट्रीय जीवन का अंग है यह सांस की तरह है जिसके बिना हम जीवन की धारण नहीं

कर सकते। तात्पर्य यह है कि यह शिक्षा देश के लिए जीवन-मरण के सवाल से जुड़ी हुई है।

सौभाग्य से भारतीय समाज में पठन-पाठन की परम्परा दीर्घकाल से चली आ रही है। यदि कोई चीज देश में ऐसी है जिस पर हम वास्तव में गर्व कर सकते हैं तो वह शिक्षा की अविछिन्न परंपरा ही है। हर चीज इस देश में इस व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। भारत का कलाकार, दस्तकार, कुंभकार, जुलाहा, कपड़ों का डिजाइनर, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, संगीतकार, नर्तक, जनकलाकार एवं किंवदन्तियां गढ़ने वाला—सब इसी व्यवस्था एवं परम्परा के साथ जुड़े हुए हैं। यह भी सत्य है कि हमारी घड़ी बनाने वाला घड़ीसाज, हीरों को तराशने वाला जौहरी, हमारे मैकेनिक एवं बढ़ाई सब के सब इसी व्यवस्था के अंग हैं।

अपने देश में आज भी प्रारम्भिक शिक्षा जिस दुर्दशा को प्राप्त है वह चिन्ताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि सन् 2000 तक भारत दुनिया का सबसे अशिक्षित देश होगा अर्थात् भारत में तब तक अशिक्षितों की संख्या सर्वाधिक होगी। भारत में 1951 से 1991 तक साक्षरता दर को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया जा सकता है।

तालिका सं0 1.1

साक्षरता दरें

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.67	56.50	29.85
1991	52.19	64.20	39.19

स्रोत्र: सेन्सस आफ इंडिया, 1991 पेपर 2 आफ 1992 (पृष्ठ 51)

नोट: 1. 1951, 1961 व 1971 की साक्षरता दरें 5 वर्ष व उससे अधिक आयु की जनसंख्या से संबंधित है। 1981 व 1991 की साक्षरता दरें सात वर्ष व उससे अधिक आयु की जनसंख्या से संबंधित है।

2. 1981 की साक्षरता दरों में असम सम्मिलित नहीं है तथा 1991 की साक्षरता दरों में असम तथा जम्मू व कश्मीर सम्मिलित नहीं है क्योंकि वहां जनगणना नहीं हो सकी थी।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1951 में जहाँ 18% जनसंख्या साक्षर थी। वही 40 वर्षों पश्चात् 1991 में 52% जनसंख्या ही साक्षर हो सकी अर्थात् लगभग आधी आबादी अभी तक निरक्षर है जिसमें महिलाओं की स्थिति तो और भी असंतोषजनक है। विश्व बैंक ने भी भारत की प्राथमिक शिक्षा योजना को सिर्फ दो तिहाई ही सफल माना है। आंकड़े गवाह हैं कि हमारे देश में 6 से 10 वर्ष आयु के लगभग 10 करोड़ बच्चों में से एक तिहाई ने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा। प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ तथा योजना प्रबन्धक मार्लेन लॉकहीड ने 307 पृष्ठ की अपनी रिपोर्ट ‘भारत में प्राथमिक शिक्षा’ में चिंता जताते हुए बताया है कि भारत में शिक्षा प्राप्ति का औसत बहुत नीचा होने के कारण उस महत्वपूर्ण बिन्दु तक नहीं पहुँच सका है। जहाँ आर्थिक वृद्धि की दर ऊँची होती है तथा लाभ अधिकतम।

आंकड़े बताते हैं कि छः वर्ष तक के 80 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं किन्तु इनमें से 20% की उपस्थिति नियमित नहीं होती। 6-10 वर्ष आयु के लगभग 70% बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। लेकिन इनमें से आधे प्राथमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दरों को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका सं0 1.2

ड्राप आउट दरें (1988-89)

कक्षा	बालक	बालिकायें	कुल
I-V	46.74	49.69	47.93
I-VIII	59.38	68.31	65.40
I-X	72.68	79.46	75.36

स्रोतः एजुकेशन इन इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। शिक्षा में ड्राप आउट की दरें अत्यन्त उच्च हैं। ड्राप आउट की दरें अधिक होने के कारण शिक्षा में अपव्यय की समस्या विकराल हो गयी है।

शिक्षकों व कक्षाओं का भी अत्यन्त अभाव है। उड़ीसा में यदि सभी नामांकित बच्चे स्कूल में उपस्थित होने लगे तो प्रत्येक के लिए कक्षा में सिर्फ 18 वर्ग इंच स्थान ही उपलब्ध हो सकेगा। देखा जाये तो यह क्षेत्रफल एक तिलचट्टे के लिए भी काफी कम है। प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की दशा पर निम्नलिखित तालिका के माध्यम से प्रकाश जाला जा सकता है -

तालिका सं0 1.3

प्राथमिक विद्यालयों की चयनित विशेषतायें (1978 व 1986)

(प्राथमिक विद्यालय % में)

	1978	1986
भवन		
1. भवन विहीन	18.75	13.54
2. कच्चा भवन	21.35	13.92
3. पक्का/आंशिक रूप से पक्का	59.90	72.54
अध्यापक		
1. प्रशिक्षित अध्यापक	86.27	86.62
2. शून्य अध्यापक	0.62	0.42
3. एक अध्यापक	34.75	28.91
4. दो अध्यापक	27.27	31.85
5. तीन अध्यापक	15.10	15.11
6. चार अध्यापक	8.16	8.88
7. पांच या अधिक अध्यापक	14.10	14.83

स्रोत: फोर्थ एण्ड फिफ्थ आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 (1991)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भौतिक सुविधाओं की वृद्धि से अत्यन्त दयनीय है। यदि समुचित ध्यान न दिया गया तो आगे आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और बदतर होती जायेगी। सन् 2007 अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना

के अंतिम वर्ष में 6-10 वर्ष आयु के सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 13 लाख स्कूली कमरों तथा 740 हजार नये शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी।

1986 से 1993 के बीच लड़कियों के नामांकन में 20% की वृद्धि हुई किन्तु इन आठ वर्षों में उनका कुल नामांकन सिर्फ 19.8% ही रहा। भारत इस मामले में पूर्वी एशियाई देशों से भी पीछे है। 1961 में दक्षिण कोरिया व थाईलैण्ड की क्रमशः 71% व 68% साक्षरता दर की तूलना में भारत में यह मात्र 28.3% थी। ऑकड़े बताते हैं कि पूर्ण साक्षरता अभियान के सन्दर्भ में चीन, मलेशिया व इण्डोनेशिया जैसी तेजी से विकसित हो रही आर्थिक शक्तियाँ भी भारत से पहले अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी। जबकि देश के अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद हम अपनी योजना को मूर्त रूप देने में असफल रहे हैं। पिछले वर्षों में एकत्र किये गये आकंडे तथा नोबेल पुरस्कार विजेता आमत्ये सेन व अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिये गये संकेत बताते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से होने वाले लाभ किसी देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक प्रमुख तथ्य ‘नवजात शिशुओं की मृत्यु दर’ पर ही विचार करें। इसका सीधा सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा से है। 1991 में नीची साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक उड़ीसा (35% साक्षरता) में नवजात शिशुओं की मृत्युदर 112.1 प्रति हजार थी। देश के सबसे कम साक्षरता वाले राज्य बिहार (23%) में यह दर 89.2 प्रति हजार थी, वही 25% साक्षरता दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शिशुओं की मृत्युदर 99.9 प्रति हजार थी दूसरी ओर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य केरल (86%) में नवजात शिशुओं की मृत्युदर सबसे कम, 24 प्रति हजार पाई गयी।

एक अन्य प्रमुख तथ्य जनसंख्या नियंत्रण को ही ले उत्तर प्रदेश में जितनी अधिक महिलायें शिक्षा प्राप्त करती जा रही है उनमें गर्भ निरोध के प्रति उतनी ही अधिक जागरूकता आ रही है। अशिक्षित महिलाओं में से जहाँ सिर्फ 12% ही गर्भ निरोधक उपाय अपना रही है वही उच्चतर माध्यमिक या उससे भी अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में यह प्रतिशत 35 है।

मां की शिक्षा व उसके बच्चे के टीकाकरण में भी समान उच्च सह सम्बन्ध है। उत्तर प्रदेश में 1995 में निरक्षर माताओं के बच्चों के 17% टीकाकरण की तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के शिशुओं में यह 50% से भी अधिक था। तमिलनाडु में यह आंकड़े कमशः 58% तथा 86% थे।

शिक्षा का अभाव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व गरीबों के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जन्म देता है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद के संयुक्त निदेशक अबू सलेह शरीफ के अनुसार "वास्तव में प्रभावशाली वर्ग, निम्न वर्ग को शिक्षित बनाने में कोई रुचि नहीं लेता। गुजरात में पटेलों की अधिकार सम्पन्न जाति द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति न देना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।" वास्तव में भारतीय शिक्षा, स्थानीय समाज की पहुँच से दूर होती जा रही है। इस व्यक्तिगत में बदलाव लाना जरूरी है।

बालिकाओं की स्थिति शिक्षा के प्रत्येक वर्ग में बदतर है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की 75% तथा अनुसूचित जाति की 60% बालिकायें अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाती। शहरों से तुलना करने पर तो यह फर्क और भी बढ़ जाता है, जिसके अनुसार 38% ग्रामीण व

29% शहरी बालकों की तुलना में कमशः 57% व 36% बालिकाएं अपनी स्वूत्री पढ़ाई अधूरी ही छोड़ देती हैं।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की यह खामियां हालांकि प्रत्यक्ष रूप में इतनी स्पष्ट नहीं है किन्तु समाज व अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला बनाती जा रही है। बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा से प्राप्त होने वाले गैर बाजारी प्रतिफलों की वृद्धि दर कहीं अधिक है। बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय किया गया प्रत्येक रूपया अधिक गैर-बाजारी लाभ उत्पन्न करेगा जैसे स्वरथ बच्चें, जनसंख्या नियंत्रण आदि। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की 15 से 45 वर्ष आयु (प्रजनन क्षमता काल) की कुल महिलाओं में से सिर्फ 6% ही साक्षर हैं।

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी साक्षरता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कहने की आवश्यकता नहीं कि अल्प साक्षरता दर वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की स्थिति काफी अच्छी है। इस सम्बन्ध में राजकीय घरेलू उत्पाद में वृद्धि व शैक्षिक योग्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणाम के अनुसार हरियाणा, पंजाब व महाराष्ट्र में वृद्धि दर सर्वाधिक थी और इन सभी राज्यों में शिक्षितों का प्रतिशत अधिक पाया गया जबकि असम, प. बंगाल व उड़ीसा का स्थान काफी नीचे था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.6% हिस्सा प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च करती है जिसे कम से कम 4% तक बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। इसका अगला चरण है- बाल श्रम। विश्व में बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या भारत में है तथा 'कन्सन्ड फॉर वर्किंग चिल्ड्रेन' नामक एक स्वैच्छिक, संगठन के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में इन नन्हें मजदूरों की 20% भागीदारी है। देश के लगभग 8 करोड़ बच्चे प्रतिदिन 12 घण्टे से भी अधिक समय तक

कठोर परिश्रम करते हैं। विभिन्न संस्थाओं के अनुसार 'स्कूल न जाने वाला कोई भी बच्चा बाल श्रमिक है।' प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए क्या यही एकमात्र कारण पर्याप्त नहीं है?

यह अजीबोगरीब ही है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भारत सरकार ने 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित की। इस संशोधन के बाद बच्चों के अभिभावकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को शिक्षित होने का अवसर प्रदान करें।

विगत 50 वर्षों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क न करने की सरकारी विफलता पर सर्वोच्च न्यायालय के सन् 1993 के उस निर्णय के कारण सर्वाधिक ध्यान दिया गया कि शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए उसे संविधान के मूलभूत अधिकारों वाले अध्याय में सम्मिलित किया जाना अपरिहार्य नहीं है। वास्तव में संविधान के 45 वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और बुनियादी शिक्षा देगा। यद्यपि यह संविधान के निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिन्हें अदालतों के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित अवधि से चार गुना अधिक अवधि व्यतीत हो जाने से "कर्तव्य अब लागू करवा सकने वाला अधिकार बन चुका है।"

हमारे जैसे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा देने की समस्या का समाधान कठिन है। जापान ने इस समस्या को हल करने के लिए उच्चतम स्तर तक की शिक्षा गावों में दी और शिक्षा का आधार गावों को बनाया गया। जापान में शिक्षा का ढांचा पिरमिड की भाँति है, किसी खम्बे की तरह नहीं है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में एक विरोधाभास यह भी है कि इसके द्वारा समाज में समता आनी चाहिए थी, परन्तु इसके कारण बड़े योजनाबद्ध ढंग से

असमानताओं को बढ़ावा मिला और वे गहरी होती चली गयी। निम्न स्तरों पर भी शिक्षा को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु बना दिया गया है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और पुस्तकें एवं अन्य पाठ्यसामग्री के लिए छात्रों को वित्तीय संसाधन चाहिए, अन्यथा वे पढ़ नहीं सकते। देश की आजादी के 50 वर्षों बाद भी सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के प्रति पागलपन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उच्च पदों तक पहुँचने का यह पासपोर्ट बन चुका है। अधिकारी वर्ग का समूचा ध्यान उच्च स्तर को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित रहा है। इससे शनैः - शनैः फीस बढ़ी, दान-राशियाँ बढ़ी और बुराइयाँ बढ़ी कि उन्होंने शिक्षण-संस्थानों को ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों में बदल कर रख दिया, जहाँ से अधिकतर अयोग्य छात्र-छात्राएं भारी संख्या में सदिहास्पद डिग्रियाँ लेकर निकालते हैं।

6-14 वर्ष के 18 करोड़ बच्चों में से 5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि सदी के अन्त तक इस आयु के शत-प्रतिशत बालक स्कूल में प्रवेश पा लें। इसके साथ ही हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चे शिक्षा में रुचि लें। इस समय 40% बच्चों प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा लेना बन्द कर देते हैं। अतः शिक्षा के वर्तमान असमानता वाले ढांचे को बदलने के लिए हमें तीव्र गति से महान प्रत्यन करने होंगे।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा:-

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 1950 से ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 1950 से अब तक के वर्षों में शिक्षण संस्थानों की संख्या और विस्तार में दर्शनीय वृद्धि हुई साथ ही इनके नामांकन में भी वृद्धि हुई। 1950-51 में

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2.10 लाख थी। 1990-91 में यह बढ़कर 5.58 लाख हो गयी 1950-51 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 13,600 थी। 1990-91 में यह बढ़कर 1.46 लाख हो गयी। 1950-51 में इन स्कूलों में 2 करोड़ 23 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया, जबकि 1991 में इन स्कूलों में 13 करोड़ 60 लाख ने प्रवेश लिया। नामांकन के प्रतिशत पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि 6-11 आयु वर्ग का कुल नामांकन 1950-51 में 43.1% की तुलना में 1985-86 में बढ़कर 85.0% हो गया। इसी प्रकार 11-14 आयु वर्ग का कुल नामांकन 1950-51 के 12.9% की तुलना में 1985-86 में बढ़कर 48.9% हो गया। इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक का कुल नामांकन अनुपात 1990-91 में 101.03 हो गया और कक्षा 6 से 8 का कुल नामांकन अनुपात 60.11 हो गया। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) पर नामांकन संख्या में वृद्धि दर को निम्नलिखित तालिका से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका सं0 1.4

नामांकन : वार्षिक वृद्धि दर (%) में

अवधि	बालक	बालिकायें	योग
1950-51 से 1960-61	5.5	7.8	6.2
1960-61 से 1970-71	4.2	6.5	5.0
1970-71 से 1980-81	2.4	2.9	2.6
1980-81 से 1991-92	2.5	3.7	2.9

स्रोत: (1) एजुकेशन इन इंडिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(2) ए हैएडबुक आफ एजुकेशन एण्ड एलाइड स्टैटिस्टिक्स,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(3) सेलैक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास

मंत्रालय।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि विभिन्न दशकों में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) में नामांकन वृद्धि दर भिन्न-भिन्न रही है। पिछले चार दशकों में बालकों की नामांकन संख्या में वृद्धि दर 5.5% से घटकर 2.5% हो गयी तथा बालिकाओं के लिए यह दर 7.8% से घटकर 3.7% हो गयी इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन संख्या में वृद्धि दर 6.2% से घटकर 2.9% हो गयी।

परन्तु आज भी सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। बीच में शिक्षा छोड़ने वालों का अनुपात (झाप आउट दर) लगातार चेतावनी दे रहा है। 1985- 86 में झाप आउट दर कक्षा 1 से 5 में 47.6% और कक्षा 1 से 8 में 64.7% थी।

पांचवे आल इंडिया एजुकेशन सर्वे (1986) के अनुसार 94.5% जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल उपलब्ध हैं। 83.98% जनसंख्या के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। सर्वे का कहना है कि 31,815 ऐसी बस्तियाँ हैं, जहां जनसंख्या 300 से अधिक है लेकिन उसके एक किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। ये बस्तियाँ शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम और अस्सणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हैं।

अब तक सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है मगर उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 तक लड़कों की तथा कक्षा 10 तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है। 18 राज्यों और 3 संघ क्षेत्रों- आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दिल्ली में संविधान के निदेशन के अनुरूप अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून बन चुके हैं।

► राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा अन्य उपायः-

संविधान में दिये गये वचन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किया गये। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति तो सन् 1968 में ही संसद द्वारा अंगीकार कर ली गई थी। वह डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। नीति में इन उद्देश्यों पर जोर दिया गया-

1. 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
2. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण

संविधान में दर्शित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा की सार्वजानिकता को उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आवश्यक कम से कम शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए खंड विभाजित अभियान आरंभ हुआ जिसका नाम "ब्लैक बोर्ड अभियान" है। इसका लक्ष्य प्राथमिक पाठशालाओं के बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाना है। इस योजना के तहत 1,03,364 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी इसमें 47.23% महिलायें थीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का 1992 में पुनरावलोकन करके उसे कार्य योजना के अनुरूप बनाया गया और इसमें सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी। नामांकन पर जोर देने के स्थान पर सहगामी नियोजन पर जोर दिया गया जिसमें परिवार और बालक को ध्यान में रखकर शिक्षकों और ग्रामीणों को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी कि प्रत्येक बालक नियमित रूप से विद्यालय अथवा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में उपस्थित होगा और विद्यालयी शिक्षा के कम से कम 5 वर्ष पूरे करेगा अथवा

अनौपचारिक शिक्षा के समकक्ष स्तर को पूरा करेगा। बालकों और उनके माता-पिता को हतोत्साहित करने वाले कारण, जैसे विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, विद्यालय भवन की असन्तोषजनक दशा, और शिक्षण की अपार्याप्त सहायक सामग्री, पर भी ध्यान दिया गया। प्राथमिक स्तर पर बाल-केन्द्रित और कार्य-आधारित अधिगम प्रक्रिया को अपनाया गया। सेवा पूर्व और सेवा काल में अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु की गयी।

अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक कि बच्चे विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेते अथवा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते। उपलब्धि को नामांकन और धारण शक्ति के समान महत्व दिया गया है। उपरोक्त तथ्य संशोधित नीति के पैरा 5.5 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का 1992 में संशोधन) में वर्णित है जिसमें सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के तीन पहलुओं पर जोर दिया गया है -

1. सार्वभौमिक पहुँच और नामांकन।
2. 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की सार्वभौमिक धारण शक्ति।
3. शिक्षा में पर्याप्त गुणात्मक सुधार करना जिससे कि सभी बच्चे अधिगम के अनिवार्य स्तर को प्राप्त कर सकें।

सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कार्य करने पर निम्नलिखित तथ्य उभर कर आये :-

1. सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा प्रासंगिक है। इस प्रसंगिकता में देश व्यापी अन्तर है। उदाहरणार्थ केरल जैसे राज्य में भी जहाँ कि प्रारम्भिक शिक्षा लगभग सार्वभौमिक है वहाँ भी शिक्षा की गुणात्मकता और उपलब्धि की दिशा में बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को लागू करने के लिए मुख्य रूप से गुणात्मकता, सुविधाओं और उपलब्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. अब तक सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर ही मुख्यतया नियोजन किया गया है। कुछ राज्य और संघीय क्षेत्र इतने विशाल और विषम हैं कि वे प्रभावपूर्ण नियोजन करने में असमर्थ हैं। आदर्श नियोजन निचले स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए, नियोजन को गांवों से प्रारम्भ किया जाय, जिले को नियोजन की इकाई मान कर नियोजन की शुरूआत की जा सकती है। जिला योजना का निर्माण स्थानीय संस्थाओं, अध्यापकों और गैर सरकारी संगठनों के साथ गहन पारस्परिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। इससे योजना उन सबकी अपनी योजना होगी जो उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं और इस योजना में जमीन से जुड़ी हुई वास्तविकतायें प्रतिबिम्बित होगी।

3. सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उपलब्ध साधनों की रिस्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके लिए वित्तीय तथा अवित्तीय दोनों तरह के साधनों में अत्याधिक मात्रा में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

►►महत्व के विशेष क्षेत्र:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कार्य के निम्न क्षेत्रों पर जोर दिया गया-

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के स्थान पर शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करना।

2. सबके लिए शिक्षा की उपलब्धि के लिए आर्थिक संसाधन महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए समुदाय की सहायता प्राप्त करने के साथ ही गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेने के प्रयास किये जाने चाहिए।

3. इस नीति में यह स्वीकार किया गया कि अनाकर्षक विद्यालयी वातावरण, भवनों की असन्तोषजनक दशा, और अनुदेशकीय सामग्री की अपर्याप्तता ये ऐसे तत्व हैं जो कि बच्चों तथा उनके अभिभावकों को हतोत्साहित करते हैं। इसलिए नीति ने प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने तथा सहायक सेवाओं की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने प्राथमिक स्तर पर सीखने की प्रक्रिया को बाल केन्द्रित तथा किया आधारित बनाने पर जोर दिया।
5. राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 1986 और इसकी कार्य योजना ने अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना का विस्तृत कार्यक्रम स्वीकृत किया जिसमें सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं।
6. इस नीति में एक क्षेत्रीय के बजाय बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया। इस दृष्टिकोण में विकास सम्बन्धी सभी विनियोगों को शामिल किया गया; परिणामस्वरूप सेवाओं की उपलब्धता तथा संसाधनों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि की आशा की गयी। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में बाल सेवायें, पोषण, प्रारम्भिक रवरथ्य सुरक्षा और अन्य आधारभूत सेवायें शामिल की गयी। अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता में जनसंख्या शिक्षा, प्रतिरक्षा, पोषण और वनारोपण को शामिल किया गया।

उपरोक्त तथ्यों का अनुसरण करते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

►►जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः—

सरकार द्वारा नवम्बर 1993 में उपरोक्त राष्ट्रीय अनुभवों तथा कार्य योजना 1992 के पैरा 7.4.6 के कार्यान्वयन पर आधारित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की गयीं—

1. बिहार शिक्षा योजना (युनिसेफ के सहयोग से) और लोक जुम्बिश योजना (एस० आई० डी० ए०² के सहयोग से)।
2. उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा योजना (आई० डी० ए०³ के सहयोग से) का निर्माण।
3. आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा योजना (ओ० डी० ए०⁴ के सहयोग से), शिक्षा कर्मी योजना (एस० आई० डी० ए० के सहयोग से) और महिला समाव्या (डच के सहयोग से) का कार्यान्वयन।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, जिनमें स्त्री साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V और समकक्ष अनोपचारिक शिक्षा) पर विशेष ध्यान दिया गया, लड़कियों एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया।

2- स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट अर्थारिटि।

3- इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी।

प्रारम्भ में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के 43 जिले सम्पर्कित किये गये। 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम 110 जिलों में शुरू किया जायेगा। 1993 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अगस्त 1994 में एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयेजन किया गया। इस सेमिनार में जिला योजना के निर्माण में भाग लेने वाले राज्यों व जिलों के व्यक्तियों, भारतीय प्रबन्धन संस्थानों एवं जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया से सम्बन्धित शैक्षिक प्रबन्धन, शोध प्रशिक्षण और विकास से जुड़े हुए अन्य व्यावसायिक संस्थानों एवं देश में विश्वविद्यालयों तथा शोध संगठनों के विशेषज्ञों, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ यूनीसेफ और यूनेस्को के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सेमिनार में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विविध तथ्यों पर गहन विचार विमर्श हुआ।

►>सभी के लिए शिक्षा (ई० एफ० ए०):-

वर्तमान समय में भारत की प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है किन्तु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22% है और विश्व के कुल प्रौढ़ साक्षरों का 30% भारत में है। अतः देश में साक्षरता के स्तर को सुधारने के लिए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इसके अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों तथा 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को शामिल किया गया। जबकि सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य 6-14 वर्ष आयु वर्ग के 19 से 24 मिलियन बच्चों को शिक्षित करना है। इसमें 60% लड़कियां होंगी।

4- ओवरसीज डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन।

और साथ ही 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 122 मिलियन प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य है जिसमें 62% महिलायें होगी। जनसांख्यिक दबाव के कारण यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। यह केवल सन् 2050 तक के लिये है तब तक जनसंख्या के स्थिर हो जाने की सम्भावना है।

>>> सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य:-

सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं -

1. परिवारों, समुदायों और उपयुक्त संस्थाओं की सहायता से बहुमुखी प्रयासों द्वारा विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिशु सुरक्षा और विकास क्रियाओं का विस्तार।
2. प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा;
 - अ. 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
 - ब. औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यकमों द्वारा प्रारम्भिक स्तर पूरा होने तक उनकी सर्वभौमिक भागीदारी।
 - स. कम से कम अधिगम के न्यूनतम स्तर की सार्वभौमिक उपलब्धि।
3. निरक्षरता में प्रभावपूर्ण कमी, विशेष रूप से 15-35 आयु वर्ग की निरक्षरता को कम करना।
4. शिक्षा को बनाये रखने, उपयोग करने और उन्नत करने के लिए अवसरों की उपलब्धता।
5. आवश्यक संरचनाओं का निर्माण, और ऐसी प्रक्रिया को गति प्रदान करना जो कि स्त्रियों को अधिकार प्रदान कर सके और शिक्षा को स्त्रियों की समानता का

एक साधन बनाना ।

6. शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया को उन्नत बना कर वातावरण, लोगों की संस्कृति एवं रहन-सहन व कार्यदशाओं से सम्बन्धित करना ।

►► आपरेशन ब्लैक बोर्ड :-

पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात् आपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारम्भ किया गया । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तीन परस्पर निर्भर पहलू है :

1. दो बड़े-बड़े कमरों का भवन, जिसमें चौड़ा बरामदा तथा लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग प्रसाधन सुविधा भी हो ।
2. प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक जिसमें एक स्त्री हो ।
3. आवश्यक शिक्षण- अध्यगम सामग्री जिसमें श्यामपट, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्यानुभव के उपकरण सम्मिलित है ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यान्वयन प्रगति पर था । फिर भी कार्यान्वयन के प्रयास और विस्तार की असमानता एक मुख्य समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । 1987 से, इस योजना के प्रारम्भ से ही 103,364 आध्यापकों (जिसमें 48% महिलायें हैं) की भर्ती की जा चुकी है और 115,091 कक्षा-कक्ष बनाये जा चुके हैं । आठवीं योजना में आपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्षेत्र विस्तृत किया गया । इसके अन्तर्गत जहाँ नामांकन संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया है वहाँ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीसरा अध्यापक तथा तीसरा कक्षा-कक्ष उपलब्ध कराना है ।

►► कानपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की स्थिति:-

►►► आपरेशन ब्लौक बोर्डः-

कानपुर जिले में 435 स्कूलों में यह योजना संचालित है जिसमें 432 स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के हैं तथा 3 स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित 26 वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं- 2 कुसियॉ, 2 मेंज, लोटा व गिलास, ढोलक, मंजीरा, राबर की 10 गेंदे, 4 नाइलोन की छोटी रस्सियॉ, बड़ी रस्सी, 5 रिंज संपंज, छोटा लोहा व लकड़ी की मुंगरी, कक्षा 1-5 तक की पाठ्य-पुस्तकों का एक सेट, गलोब, 2 श्यामपट, अलमारी, बाल्टी, 10 टाटपट्टी 6 शैक्षिक चार्ट, 200 बाल पुस्तकें, शब्दाकोष-अध्यापक एवं बाल शब्दाकोष बालक, विज्ञान किट, गणित किट, मिनी टूल किट, खिलौना, बोधिक ब्लाक, पहेलियां, ज्ञान कोष।

►►► मध्याह्न भोजन योजना:-

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए है। यह योजना गरीब छात्रों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए चलायी गयी। इस योजना के अन्तर्गत प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं प्रत्येक छात्र को दिया जाता है। कानपुर जिले (देहात) में 3 ब्लाक- विधनू सरसौल और कल्याणपुर हैं जिनमें कमशः 102, 107, और 92 स्कूल हैं मध्या भोजन योजना 1996-97 में विधनू और सरसौल ब्लाक में लागू की गयी इस योजना में 209 विद्यालय सम्मिलित हैं। 1996-97 में इस योजना से लाभन्वित होने वाले छात्रों की संख्या 28089 थी। 1997-98 में इस योजना के अन्तर्गत कल्याणपुर ब्लाक भी सम्मिलित किया जाना

प्रस्तावित था। 1996 तक यह नियोजित थी 1997 में यह गैर नियोजित स्थायी योजना है।

►►► स्कूल चलो अभियानः-

जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत जुलूस निकाले गये तथा पोर्टर लगाये गये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त योग्यता छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गयी, इसके लिए कक्षा पांच उत्तीर्ण छात्रों का एक टेस्ट लिया जाता है। जिसमें छात्रवृत्ति के लिए 209 बच्चों को चुना जाता है।

►►► 1997-98 के लिए प्रस्तावित नयी योजनायें:-

वर्ष 1997-98 के लिए निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं।

1. 30 विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
2. 33 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।
3. 25 जूनियर हाई स्कूल खोले जायें।
4. 5 जूनियर हाई स्कूलों में विद्यालय रखरखाव व मरम्मत के लिए 15 हजार रुपये दिये जायें।
5. 35 प्राथमिक विद्यालयों के रखरखाव व मरम्मत के लिए 200 रुपये प्रति विद्यालय दिये जायें।
6. 2 अम्बेडकर गावों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं।
7. 13 विद्यालयों में चहारदीवारी के निर्माण हेतु 40,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से दिये जायें।

► राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धि:-

प्रारम्भिक विद्यालयी व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही है। इस प्रकार की लगभग सभी योजनाये राज्यों के क्षेत्र में है। पॉच्वे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार लगभग 0.53 मिलियन प्रारम्भिक विद्यालय है, लगभग 0.15 मिलियन विद्यालय लगभग 14 मिलियन बच्चों को मध्या भोजन प्रदान कर रहे हैं। लगभग 0.25 मिलियन विद्यालय 11 मिलियन बच्चों को निःशुल्क गणवेश प्रदान कर रहे थे और लगभग 20 मिलियन बच्चे 0.35 मिलियन विद्यालयों से निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों प्राप्त कर रहे थे। उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 10 मिलियन से कुछ अधिक बच्चे निःशुल्क पुस्तकों प्राप्त कर रहे थे, 4 मिलियन बच्चे निःशुल्क गणवेश और 7 मिलियन बच्चे मध्या भोजन प्राप्त कर रहे थे। लड़कियों के लिए कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क है। विभिन्न स्थानों पर कुछ दूसरे प्रकार के प्रोत्साहन जैसे छात्रवृत्ति भी दिये जा रहे थे।

सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याएँ:-

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में अनेक गम्भीर समस्याएँ हैं। जिनमें मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं -

► वित्त की समस्या:-

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पहली मुख्य समस्या वित्त के अभाव की है। सरकार शिक्षा के विकास हेतु कितना धन व्यय कर रही है इसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है -

तालिका सं0 1.5

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यय (प्रतिशत में)

पंचवर्षीय योजनायें	प्रारम्भिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	उच्च शिक्षा	अन्य	तकनीकी शिक्षा	योग
प्रथम योजना 1951-56	56	13		9	9	13	100
द्वितीय योजना 1956-60	35	19		18	10	18	100
तृतीय योजना 1961-66	34	18		15	12	21	100
योजना अवकाश 1966-74	24	16		24	11	25	100
चौथी योजना 1969-79	30	18		25	14	13	100
पांचवी योजना 1974-79	35	17		22	14	12	100
छठी योजना 1980-85	33	21	9	22	4	11	100
सातवी योजना 1985-90	37	24	6	16	3	14	100
वार्षिक योजनायें 1990-92	37	22	9	12	2	17	100
आठवी योजना 1992-97	47	18	9	8	4	14	100

स्रोत:- डा० आर० वी विद्यानाथ अययर: एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिश्ट्रेशन

इन ईडिया, रिट्रोसेप्ट, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय।

उपरोक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का 56% प्रारम्भिक शिक्षा पर किया गया। इसी योजना में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तथा तकनीकी शिक्षा पर कमशः 13%, 9%, 13% व्यय किया गया। किन्तु आगे आने वाली प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत कम होता गया जबकि शिक्षा के अन्य स्तरों पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता गया है। आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा पर 47% व्यय किया गया जबकि माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा पर कमशः 18%, 9%, 8%, 4% तथा 14% व्यय किया गया।

सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को यदि हम प्रति छात्र व्यय के रूप में देखें तो ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय कितना अपर्याप्त है।

तालिका सं0 1.6

प्राथमिक शिक्षा में प्रति छात्र व्यय (रूपये में)

वर्ष	चालू मूल्यों पर व्यय	1970-71 के स्थिर मूल्यों पर व्यय
1980-81	160.9	62.5
1981-82	178.9	63.6
1982-83	196.5	68.1
1983-84	217.1	65.3
1987-88	339.7	78.8
वृद्धि दर	1.4%	0.4%

नोट:-1984-85 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत:-भारत में शिक्षा (विभिन्न वर्ष) पर आधारित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में प्रति छात्र व्यय को चालू मूल्यों पर देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार पर्याप्त धन व्यय कर रही है किन्तु बढ़ती हुई मंहगाई के परिप्रेक्ष्य में यह व्यय अत्यन्त अपर्याप्त है। इसीलिए इस व्यय का आंकलन 1970-71 के स्थिर मूल्यों के आधार पर किया गया चालू मूल्यों पर 1980-81 में 160.9 रु० प्रति छात्र व्यय था जो कि 1987-88 में 339.7 रु० हो गया किन्तु इस अवधि में स्थिर मूल्यों पर यह व्यय मात्र 62.5 रु० से बढ़कर 78.8 रु० ही हुआ है। स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि दर मात्र 0.4% है। प्राथमिक शिक्षा जिस दुर्दशा को प्राप्त है इतने कम व्यय से उसे सुधारना संभव नहीं है। अतः प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिक मात्रा में धन का आवंटन करना नितांत आवश्यक है।

प्राथमिक शिक्षा की समस्या केवल वित्त के अभाव की समस्या ही नहीं है वरन् इसमें अनेक सामाजिक-आर्थिक अवरोध भी हैं।

►► सामाजिक-आर्थिक अवरोधों की रूपरेखा:-

राष्ट्रीय प्रतिवर्षीय सर्वेक्षण (जुलाई 1986-जून 1987) के बयालीसवें निरीक्षण ने गैर नामांकन और विद्यालय छोड़ देने (झाप आउट) के कारणों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की।

तालिका सं0 1.7

6वर्ष और उससे अधिक आयु की गैर नामांकित जनसंख्या के गैर
नामांकन के कारण

गैर नामांकन के कारण	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिलायें	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	व्यक्ति
1. कम आयु के कारण विद्यालय न जाना	5.70	3.88	40.61	6.71	3.63	4.73
2. विद्यालयी सुविधाओं का आभाव	9.94	10.46	10.25	5.86	9.00	7.89
3. स्कूली का आभाव	25.18	32.32	29.46	23.46	33.90	29.55
4. घरेलू/आर्थिक कार्य	18.87	9.04	12.98	17.11	6.83	10.48
5. अन्य आर्थिक कारण	31.12	23.56	26.59	34.76	22.59	26.91
6. घरेलू कार्य	1.27	9.87	6.42	0.90	10.70	07.22
7. प्रवेश के लिए प्रतीक्षा	0.96	0.51	0.69	1.36	00.80	01.00
8. अन्य कारण	6.96	10.37	9.00	9.83	13.56	12.23
समस्त कारण	100	100	100	100	100	100

स्रोत: नेशनल सेम्पल सर्वे (1989), ड्राफ्ट रिपोर्ट नं0 365, डिपार्टमेन्ट आफ
स्टैटिस्टिक्स, गेवनमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली (मिमोग्राफड) पृष्ठ 38।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गैर नामांकित लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% लोग विद्यालय सुविधाओं के अभाव के कारण नामांकित नहीं थे; इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के व लड़कियों के नामांकन में बहुत कम अन्तर है किन्तु शहरी क्षेत्रों में अन्तर कुछ अधिक है।

ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लगभग 30% लोगों ने गैर नामांकन का कारण रुचि का अभाव बताया। यहाँ लड़के व लड़कियों के नामांकन में बहुत अधिक 'अन्तर है। गैर नामांकन के लिए रुचि के अभाव को कारण के रूप में दर्शाने वाली स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है।

लगभग 52% शहरी पुरुष और 26% शहरी स्त्रियों घरेलू आर्थिक कियाओं में भाग लेने और दूसरे आर्थिक कारणों से शैक्षिक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते। ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 1% पुरुष घरेलू आवश्यक व नियमित कार्य में भाग लेने के कारण नामांकित नहीं हो पाते। इस कारण से नामांकित न होने वाली स्त्रियों ग्रामीण क्षेत्रों में 9.9% व शहरी क्षेत्रों में 10.7% है। अधिकांश युवा स्त्रियों अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने, विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में भाग लेने और नियमित व आवश्यक घरेलू कार्यों में भाग लेने के कारण शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित नहीं हो पाती हैं। प्रत्येक परिवार की आय बढ़ने के साथ गैर नामांकित लोगों का अनुपात सार्थक रूप से घटता है।

तालिका सं0 1.8

ड्राप आउट के कारणों के अनुसार ड्राप आउट करने वालों का प्रतिशत वितरण

ड्राप आउट के कारण	ग्रामीण			शहरी		
	महिला	पुरुष	व्यक्ति	महिला	पुरुष	व्यक्ति
1.शिक्षा/आगे शिक्षा में रुचि का अभाव	26.57	32.25	26.26	23.62	28.47	25.60
2.घरेलू/आर्थिक कार्य	26.80	9.38	19.17	22.60	06.71	16.28
3.अन्य आर्थिक कारण	20.63	14.97	17.15	24.15	15.42	20.58
4.घरेलू कार्य	02.01	14.25	05.54	02.20	15.92	07.77
5.अनुकूलीण होना	18.43	16.68	16.29	21.28	18.77	20.27
6.अन्य कारण	05.56	11.47	15.63	05.95	14.70	09.50
समस्त कारण	10.00	100.00	10.00	100.0	100.0	100.0

स्रोतः— नेशनल सेम्प्ल सर्वे (1989), ड्राफ्ट रिपोर्ट न0 365, डिपाटमेन्ट आफ स्टेटिस्टिक्शन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली (मिमोग्राफड)।

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में 'विद्यालय छोड़ने वालों' में से एक चौथाई लोगों ने शिक्षा लगातार न ग्रहण करने का कारण 'शिक्षा/अध्ययन में रुचि का अभाव' बताया। इस सम्बन्ध में भी स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से उच्च है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कारण से विद्यालय छोड़ने वाली स्त्रियों का प्रतिशत 33.3 है। जबकि पुरुषों के प्रतिशत 26.5 है तथा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के 23.6% की तुलना में स्त्रियों का प्रतिशत 28.5 है।

। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 16.3% और शहरी क्षेत्रों में 20.3% लोगों द्वारा विद्यालय छोड़ने का कारण परीक्षा पास करने में असफल रहना था ।

बहुत से विद्यालयों के पास अपने सभी छात्रों को अच्छी किस्म की शिक्षा प्रदान करने के लिये नयूनतम सुविधायें भी नहीं हैं । पांचवे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1986), के अनुसार, 70,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय जो कि कमशः कुल प्राथमिक विद्यालयों के 14% और कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8% हैं कच्चे भवनों में चलाये जा रहे थे ।

►► क्षेत्रीय और लिंग सम्बन्धी विषमताएँ:-

प्राथमिक रत्तर पर कुल नामांकन अनुपात पूरे देश में और अधिकांश राज्यों में 10% बढ़ा है किन्तु कुछ राज्यों में यह अनुपात निम्न है । विद्यालय छोड़ने की उच्च दर के कारण समस्या अधिक जटिल बन गयी है । यद्यपि इस दर में गिरावट दिखाई दे रही है । पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों में से लगभग आधे बच्चे पांचवीं कक्षा तक पहुंचने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं और लगभग दो तिहाई आठवीं कक्षा तक पहुंचने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं । विद्यालय छोड़ने की दर में क्षेत्रीय विषमताओं की बहुतायत है और क्षेत्रीय व लिंग सम्बन्धी दोनों प्रकार की विषमतायें नामांकन व धारण शक्ति के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण हैं । राज्यों के साक्षरता स्तर और विद्यालय छोड़ने के अनुपात में विपरीत सह-सम्बन्ध है । यदि साक्षरता स्तर उच्च है तो विद्यालय छोड़ने की दर निम्न है ।

► सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सार्थक प्रयास :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य 21वीं सदी से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक गुणात्मक रतर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धि सम्पूर्ण रूप से (नामांकन, धारण शक्ति और साथ ही उपलब्धि) उपलब्धि करनी होगी।

1986 में पहली शिक्षा योजना में यह स्वीकार किया गया कि विद्यालयी सुविधा सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं हो सकी है। विशेष रूप से लाखों लड़कियों और कामगार बच्चों तक शिक्षा की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। जिनकी विद्यालयी व्यवस्था में भागीदारी को सामाजिक-आर्थिक परिसीमायें बाधित करती हैं। अभी तक 19 मिलियन बच्चे प्रारम्भिक विद्यालय व्यवस्था से बाहर (वंचित) हैं जबकि 1951 में इस प्रकार के 49 मिलियन बच्चे थे और 1911 में 44 मिलियन बच्चे थे। सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की उपलब्धि के लिए अनौपचारिक शिक्षा के विस्तृत एवं व्यवस्थित कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में 300 या उससे अधिक की जनसंख्या वाली 31,815 बस्तियां हैं किन्तु उनमें एक किलोमीटर की पैदल की दूरी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के समान गुणात्मकता होनी चाहिए किन्तु साथ ही उसमें पर्याप्त लोच भी होनी चाहिए जिससे कि सीखने वाले अपनी स्वयं की गति से सीख सकें।

बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा:-

यदि समाज में प्रत्येक पुरुष की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जाता है तो समाज में प्रत्येक स्त्री की शिक्षा के महत्व को भी स्वीकार करना होगा । जिस प्रकार वर्तमान प्रजातंत्र काल में वर्ग-भेद अथवा जाति भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा की सुविधाओं से बंचित नहीं किया जा सकता उसी प्रकार लिंग भेद के आधार पर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । समाज में किसी भी स्त्री को पुरुष के समान ही शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये । समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिये पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग अति आवश्यक है । स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिये तथा परिवार एवं समाज में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने के लिये स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है । प्रत्येक स्त्री का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माता के कर्तव्य को भली प्रकार निभाना होता है । एक सुशिक्षित माता ही बालक का अच्छी प्रकार लालन-पालन करने, उसमें सुप्रवृत्तियों का विकास एवं उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में अच्छी प्रकार सहायक हो सकती है । एक सुशिक्षित नारी ही पारिवारिक जीवन को अधिक सुखी एवं आकर्षक बनाने के लिये अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार पूरा कर सकती है । वर्तमान अर्थ संकट के समय जबकि अधिकांश परिवारों की आय अत्यन्त न्यून है, इन परिवारों की स्त्रियों शिक्षा का उपयोग परिवार की आय को बढ़ाने में भी कर सकती हैं ।

आजादी के बाद से बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में काफी प्रगति हुई है। 1950-51 में प्राथमिक स्तर पर 54 लाख बालिकायें शिक्षा प्राप्त कर रही थी, जबकि 1991-92 में यह संख्या लगभग सवा चार करोड़ हो गयी । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उस दौरान पांच लाख बालिकायें थी, जबकि अब सवा करोड़ से भी अधिक हैं । यह वृद्धि प्रतिशत के हिसाब से लड़कों से अधिक है । केरल, गोवा, पांडिचेरी और लक्ष्यद्वीप में तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक लड़कियों

का औसत काफी अच्छा है। 1950-51 से 1990-91 के मध्य बालिकाओं के प्राथमिक स्तर पर पंजीकरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया जा सकता है।

तालिका सं0 1.9

शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या (लाखों में)

वर्ष	प्रारम्भिक (एक से आठ तक)	उच्च प्राथमिक (छ: से आठ तक)	प्राथमिक (एक से पांच तक)
1950-51	59.2	5.3	53.9
1960-61	130.0	16.3	114.0
1970-71	252.0	38.9	213.1
1980-81	352.8	67.9	284.9
1990-91	534.6	124.4	410.2

तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर 1950-51 से 1990-91 के मध्य बालिकाओं के पंजीकरण की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किन्तु देश में बालिकाओं की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। आज भी देश की 60% महिलायें अशिक्षित हैं इससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 1981-91 के दौरान लड़कियों की साक्षरता 9.6% की दर से बढ़ी, जबकि लड़कों की 7.5% की दर से।

लड़कियों की साक्षरता का अन्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत अधिक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में लड़कियों की साक्षरता जहां 7.86% है वही केरल के कोट्टायम जिले में 94% है। देश के 247 जिलों में से 147

जिले वे हैं जो मात्र 4 राज्यों उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हैं। इन जिलों में लड़कियों की साक्षरता का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। इस तरह के जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 51, मध्य प्रदेश में 38, राजस्थान में 27 और बिहार में 39 है।

लड़कियों की साक्षरता में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्नता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में साक्षर व निरक्षर स्त्री पुरुषों के प्रतिशत को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका सं0 1.10

साक्षर व निरक्षर स्त्री पुरुषों का क्षेत्रानुसार वितरण (प्रतिशत में)

वर्ष/क्षेत्र	साक्षर			निरक्षर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें	व्यक्ति	पुरुष	महिलायें
1981						
सभी क्षेत्र	43.6	56.5	29.8	56.4	43.5	70.2
ग्रामीण क्षेत्र	36.1	49.7	21.8	63.9	50.3	78.2
शहरी क्षेत्र	63.3	76.8	56.4	32.7	23.2	43.6
1991						
सभी क्षेत्र	52.2	64.2	39.2	47.8	35.8	60.8
ग्रामीण क्षेत्र	44.5	57.8	30.3	55.5	42.2	69.7
शहरी क्षेत्र	73.1	81.0	63.9	26.9	19.0	36.1

स्रोत: सेन्सेस ऑफ इण्डिया, 1991 पेपर टू आफ 1992 (पृष्ठ 51)

नोट:- 1. साक्षरता दर की गणना में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु तक की जनसंख्या सम्मिलित की गयी है।

2. 1981 के आंकड़े में असम तथा 1991 के आंकड़े में जम्मू कश्मीर

सम्मिलित नहीं है क्योंकि वहाँ जनगणना नहीं हो सकी थी।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है ग्रामीण शहरी दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता पुरुषों से कम है अर्थात् निरक्षर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है किन्तु 1981 से 1991 तक महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता के अन्तर में कमी आई है। 1981 में महिला और पुरुष की साक्षरता में 26.7% का अन्तर था। जबकि 1991 में यह अन्तर 25% था। स्त्रियों की साक्षरता पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। स्त्रियों की साक्षरता में 10% की वृद्धि हुई जबकि पुरुषों की साक्षरता में 8% की वृद्धि हुई। सम्पूर्ण साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। ज्यों-ज्यों साक्षरता का प्रातिशत बढ़ता है निरक्षता घटती जाती है। दोनों में विपरीत सम्बन्ध है। 1991 में पहली बार साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों की तुलना में अधिक दिखाई दिया। आज स्त्रियों की साक्षरता दर उतनी ही है जितनी तीन दशक पहले पुरुषों की थी। स्त्री साक्षरता में विस्तृत क्षेत्रीय विभिन्नतायें हैं केरल में स्त्री साक्षरता सार्वभौमिक साक्षरता के निकट है। जबकि राजस्थान में स्त्री साक्षरता 21% है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर लिंग विषमतायें और क्षेत्रीय असन्तुलन मुख्य कारक हैं जो कि शिक्षा के कार्य क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं।

► लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने यह व्यक्त कि कि लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता के सहसम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करना अत्यन्त आवश्यक है। केरल, गोवा, पण्डिचेरी और लक्ष्यछीप ऐसे उच्च स्त्री साक्षरता (50%से अधिक) वाले राज्यों में लड़कियों का विस्तृत सार्वभौमिक प्राथमिक नामांकन है। मध्यम स्त्री साक्षरता दरों (40%-50%) वाले राज्यों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के

आधे से अधिक है, इनमें से चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान) की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 40% है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्न कुल नामांकन अनुपातों वाले राज्यों पर भी ध्यान केनिद्रित किया गया और इन राज्यों में सघन प्रयास, व्यवस्थित नियोजन एवं कार्यन्वयन को स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय उन राज्यों में से हैं जिनके कुल नामांकन अनुपात निम्न हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों से साक्षरता दरें राष्ट्रीय औसत से निम्न हैं।

बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की शोचनीय दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें पहला कारण प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होना है। प्रायः अभिभावक सह शिक्षा के कारण अपनी बालिकाओं को विद्यालयों से दूर रखते हैं। दूसरा कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में अधिक अपव्यय का होना है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने की समस्या बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक गम्भीर है। तीसरा कारण बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप न होता है। चौथा कारण प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिये अध्यापिकाओं का अभाव है और पांचवा कारण पर्याप्त धन तथा विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव है।

► बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष प्रयासः-

प्रारम्भिक शिक्षा में लड़के व लड़कियों की भागीदारी में अन्तर ऐसा सबसे बड़ा अन्तर है जिसे सार्वभौमीकरण के लिये पूरा किया जाना आवश्यक है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की समस्या तत्वतः बालिकाओं की समस्या है। लिंग भेद सम्बन्धी विषमतायें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सामाजिक अभिवृत्ति को प्रतिबिम्बित करती हैं। यद्यपि इस समस्या का पूर्णरूपेण निराकरण शैक्षिक पद्धति द्वारा सम्भव नहीं किन्तु शिक्षा महिलाओं के स्तर

को सुधारने में धनात्मक भूमिका अवश्य निभा सकती है। महिला शिक्षा के उन्नयन हेतु किये जा रहे मुख्य प्रयास निम्नलिखित हैं -

1. महिलाओं की पीढ़ी में जागरूकता लाने वाले कार्यक्रम, इस प्रकार का एक सफल कार्यक्रम महिला समाज्या है, इस कार्यक्रम ने महिलाओं के स्वयं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के प्रयास किये। यह कार्यक्रम चार राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आनंद प्रदेश के 14 जिलों में कार्यन्वित किया गया।
2. शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत को कम करने वाली विभिन्न प्रकार की प्रेरक योजनायें प्रारम्भिक विद्यालय पद्धति की एक स्थापित विशेषता है। इन योजनाओं को राज्य द्वारा लगभग पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता प्राप्त है। सभी राज्यों में कक्षा 12 तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है। बहुत से राज्य गणवेश, निःशुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री तथा उपस्थिति भत्ता के रूप में प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सावित्री बाई फूले बाल विकास योजना सामाजिक सहायता को गतिशीलता प्रदान करने वाली एक उल्लेखनीय योजना है।
3. शिक्षा पद्धति तथा इसके अधिकारियों में लिंग सम्बन्धी भेदभाव के प्रति सविदनशीलता हेने से सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में विरतृत रूप से विशेष रूप से वेसिक शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव पाया जाता है। एनो. सी० ई० आर० टी० का महिला अध्ययन विभाग लिंग आधारित भेदभावों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है; लिंग आधारित पक्षपात को दूर करने हेतु यह विभाग विद्यालयी पाठ्य-पुस्तकों के संशोधन के कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।
4. अधिक संख्या में महिला अध्यापिकाओं की भर्ती करना; महिला अध्यापिकाओं का अनुपात क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 1986-87 में प्रारम्भिक विद्यालयों में 40% महिला शिक्षिकायें थीं जबकि 1950-51 में केवल 15% शिक्षिकायें इन विद्यालयों में थीं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिक्षिकाओं की संख्या में अन्तर है।

1986-87 में प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं में से 21% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 56% शहरी क्षेत्रों में थी। मौलिक समस्या यह है कि ग्रामीण लड़कियां माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती जिससे वे प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के योग्य नहीं होती। 1986-87 में कक्षा 2 की प्रति 100 ग्रामीण लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि करने के लिए समुचित नीतियां अपनायी जानी चाहिए।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

अनुसंधान की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तैयार करने तथा इसके प्रत्यय एवं अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। समस्या से सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकें, शोध-पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र, विश्व-ज्ञानकोष एवं अनुसन्धानसार आदि के अध्ययन से अनुसन्धानकर्त्ता को समस्या के चयन, परिकल्पना निर्माण, अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करने तथा शोध कार्य को सगमतापूर्वक सम्पन्न करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त अध्ययन प्रविधि, अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों तथा आकड़ों के विश्लेषण की उपयुक्त विधि का भी ज्ञान प्राप्त होता है एवं अनुसंधान की सफलता का पुर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है। अनुसंधानसार और विश्व-ज्ञानकाष की सहायता से यह सरलता से पता लगाया जा सकता है कि एक समस्या पर कितना कार्य हो चुका है। इससे अनुसंधान की अनावश्यक पुनरावृति नहीं हो पाती है।

प्रस्तुत अनुसंधान में सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस समस्या से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हो चुका है -

दास, आर० सी० (1969)⁵ न असम में प्राथमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दरें बहुत उच्च थीं; प्राथमिक स्तर पर लड़कों की तुलना में लड़कियों में अपव्यय की दर अधिक थी; मध्य स्तर की तुलना में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की बहुत अधिक थी; प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दर 80.56% और 86.31% के बीच थी।

⁵ DAS, R.C., SIE Assam, 1969

दास, आर० सी० (1979)⁶ ने सार्वभौमीकरण कार्यक्रम के सन्दर्भ में असम में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन की स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से प्रकट हुआ कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रारम्भिक स्तर पर बहुत सी समस्यायें हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के तीव्र विस्तार की तुलना में निरीक्षण, पर्यवेक्षण और प्रबन्धन की प्रशासनिक मशीनरी का विस्तार अपर्याप्त था। प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन हेतु प्रशासनिक मशीनरी अपर्याप्त थी। सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता का सुझाव दिया गया।

मंडल, जी० एल० (1980)⁷ ने बिहार में सार्वभौमिक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (1950-74) --- समस्यायें एवं उपायों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक) अर्थात् 6.11 वर्ष के बच्चों के विद्यालय 96% बच्चों को उपलब्ध थे; विद्यालय जाने वाली जनसंख्या का तीन चौथाई जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनके लिए मिडिल स्कूल (कक्षा 6-8) पैदल सैर की दूरी के अन्तर्गत उपलब्ध थे; कक्षा एक में नामांकित प्रति 100 बच्चों में केवल 25 बच्चे कक्षा 5 में पहुंचे और केवल 15 बच्चे कक्षा 8 में पहुंचे।

शर्मा, एच० सी० (1982)⁸ ने प्राथमिक विद्यालयों में बालक व बालिकाओं की धारणा शक्ति तथा नामांकन पर अध्यापकों के अपने मुख्यालय में ठहरने के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उन विद्यालयों की तुलना में जहाँ अध्यापक अपने मुख्यालयों पर नहीं रखते उन विद्यालयों के छात्रों की धारण शक्ति, उपस्थिति और नियमितता अच्छी थी, जहाँ अध्यापक अपने मुख्यालयों पर रखते हैं; निःशुल्क पुस्तकें, विद्यालयी वेशभूषा और भोजन जैसे प्रोत्साहनों का छात्रों की नियमितता पर धनात्मक प्रभाव पड़ा।

⁶ DAS, R.C., SIE Assam, 1979

⁷ Mandal, G.L., D. Litt, Edu., Bihar University, 1980

⁸ Sharma, H.C. SIERT, Rajasthan, 1982

शर्मा, आर० सी० (1982)⁹ ने राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि बालकों की तुलना में बालिकाओं में अपव्यय का प्रतिशत उच्च था; अनुसूचित जाति की छात्राओं में अपव्यय की दर 72.30% थी और अन्य छात्राओं में 63.38% थी; अनुसूचित जनजाति के बालकों में यह दर इससे भी उच्च थी; 1979-80 में राजस्थान में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के मात्र 56.6% बच्चों का नामांकन हो सका जबकि राष्ट्रीय औसत 81.9% बच्चों के नामांकन का था।

देवी, के० जी० (1983)¹⁰ ने मणिपुर के इम्फाल टाउन में 1963-1970 के मध्य प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय छोड़ देने (Drop out) की समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थे—समस्त प्राथमिक स्तर पर डॉप आउट की दरों में कोई एकरूपता नहीं थी; लड़कों की तुलना में विद्यालय छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या अधिक थी; अवरोधन तथा डॉप आउट की समस्या के 4 महत्वपूर्ण कारण थे—गरीबी, बार-बार होने वाला स्थानान्तरण, बार-बार अनुत्तीर्ण होना और अभिभावक की उदासीनता; डॉप आउट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक-आर्थिक थे।

आचार्य, ए० ए० (1984)¹¹ ने आन्ध्र प्रदेश के 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में बनाये रखने में सहायता मिली। अधिकांश ब्रह्मनाध्यापकों और अध्यापकों को अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का ज्ञान नहीं था

⁹ Sharma, R.C. SIERT, Rajasthan, 1982

¹⁰ Devi K.G. Ph.D. Edu. Gau. university, 1983

¹¹ Acharya, A.A. Ph.D. Edu. Osm. University, 1984

। साथ ही प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों ने नामांकन तथा बच्चों की धारण शक्ति को बढ़ाने में कोई व्यक्तिगत रुचि प्रकट नहीं की ।

बूथ, एडवर्ड ओलिवर (1984)¹² ने एक प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के एकीकरण का सांस्कृतिक मूल्यांकन किया । इस अध्ययन के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक अधिशासी, और अध्यापकों में परिवर्तन की शक्ति देखी गयी । अध्यापकों ने अधिशासी के साथ मिलकर अनौपचारिक रूप से परिवर्तन की दिशा और गति का निधारण किया । अध्यापकों ने यह अनुभव किया कि उन्हें अपनी चेतना का विकास करना चाहिए और भविष्य की नीतियों के लिए आधार प्रदान करना चाहिए।

केरे, रोनाल्ड लॉरेन्जो (1984)¹³ ने वर्जीनिया के रिचमण्ड पब्लिक स्कूल में शैक्षिक हस्तक्षेप और इसका प्राथमिक छात्रों की उपलब्धि तथा आत्म-प्रत्यय से संबंध का अध्ययन किया । अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि 7 माह के शिक्षण के पश्चात् प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह की अध्ययन उपलब्धि में सार्थक अन्तर था किन्तु आत्म-सम्मान अनुसूची से दोनों समूहों के मध्य किसी सार्थक अन्तर का संकेत नहीं मिला ।

दुनाखे, एओ आरओ (1984)¹⁴ ने प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकताओं का अन्वेषणात्मक अध्ययन किया । इस अध्ययन के अनुसार अनुसंधान की आवश्यकता वाले क्षेत्र थे— अनुपस्थितता, प्रशासन, योग्यतानुसार छात्रों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम विकास और कियान्वयन, गुणात्मक शैक्षिक उपकरणों का निर्माण, शैक्षिक नीति, मूल्यांकन व्यवस्था, अभिभावक, विद्यालय प्रवेश व्यवस्था, विद्यालय संयंत्र, विद्यालय की समय सारिणी, शिक्षा का समाजशारन, कक्षावार छात्र

¹² Booth, Edward Oliver, Ed.D.University of Hawaii, 1984. 654 PP.

¹³ Carey, Ronald Lorenzo, Ed.D.Virginia Polytechnic Institute and state university, 1984. 124 PP.

¹⁴ Dunakhe, A.R., SIE, Maharashtra, 1984.

संख्या का आकार, छात्रों की विशेषतायें, अध्यापक, अध्यापकों का प्रशिक्षण और पाठ्य-पुस्तकें।

कोनेट्सनी, वाल्टर (1984)¹⁵ ने पेनसिलवानिया स्टेट युनिवर्सिटी के अधिनियम 101 (वंचित छात्र) कार्यक्रमों में छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ देने की दरों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि नियमित छात्रों की तुलना में अधिनियम 101 कार्यक्रमों के छात्रों की पिछले 3 वर्षों में विद्यालय छोड़ देने की दरें कम थीं तथा अधिनियम 101 के छात्रों की संस्थागत क्रियाओं में सहभागिता उच्च थी।

सेन्डर, जूडी कोरेल (1984)¹⁶ ने प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में शारीरिक आयु और उपलब्धि में सम्बन्ध का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में कक्षा एक, दो व तीन के 1297 छात्रों पर बौद्धिक योग्यता परीक्षण प्रशासित किया गया। अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि सफलता या उपलब्धि का आयु एवं लिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब्बा, मोहम्मद (1985)¹⁷ ने नाइजीरिया के गोंगोला राज्य में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन पर शिक्षा अधिकारियों प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों के प्रत्यक्षीकरण के प्रभावों का मूल्याकंन किया। इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार शिक्षा अधिकारियों/सचिवों और प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों/सचिवों और अभिभावकों के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक सम्बन्ध पाया गया।

¹⁵ Konetschni, Walter, Ph.D. university of Maryland, 1984. 207 PP.

¹⁶ Sander, Judy Correl, Ph.D.Southern Illinois University at car

¹⁷ Abba, Mohammed, Ph.D.Ohio University, 1985. 176PP.

एटकिन्सन, मारग्रेट रीटा (1985)¹⁸ ने एक भारतीय जूनियर कालेज में सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाले तथा विद्यालय न छोड़ने वाले छात्रों से सम्बन्धित चरों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों से यह संकेत नहीं मिलता कि सैद्धान्तिक रूप से प्राप्त किये गये माप इस कालेज की स्थिति के लिये विशेष रूप से प्रभावकारी हैं।

बर्डी, अन्ना मेरे पेस (1985)¹⁹ ने यह अध्ययन किया कि हाई स्कूल में विद्यालय छोड़ देने वाले छात्र प्रौढ़ हाई स्कूल पूरक कक्षाओं में क्यों लौट आते हैं। इस अध्ययन में देखा गया कि मौलिक तथा व्यावसायिक कौशलों और नौकरी प्राप्त करने के मध्य संबंध के प्रति द्वेरोजगारों में जागरूकता है; प्रौढ़ शिक्षा को व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता का मार्ग माना गया; शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाले मित्रों की उपस्थिति से प्रौढ़ों की विद्यालय में वापसी का अनुमान लगाया जा सकता है; और भविष्य के प्रति अनिश्चितता शिक्षा प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं।

इमेफीडम, सन्डे ओघोघोसर (1985)²⁰ ने नाइजीरिया की सार्वभौमिक प्राधिमिक शिक्षा (UPE) और बेन्डेल राज्य के शैक्षिक विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया। इस अध्ययन के परिणाम इस प्रकार थे - UPE के क्रियान्वयन से बेन्डेल के प्राधिमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है; अधिक संख्या में अध्यापकों को रोजगार मिला, किन्तु अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रतिशत में कमी नहीं आयी; तथा शैक्षिक गुणात्मकता का द्वास हुआ है।

¹⁸ Atkinson, Margaret Rita, Ed.D. University of Kansas, 1985. 90 PP.

¹⁹ Burdi, Anna Mae Pace, Ed.D. the University of Michigan, 1985. 170 PP.

²⁰ Imafidom, Sunday Oghoghosere, Ed.D. George Peabody College for Teachers of Vanderbilt University, 1985. 255 PP.

लोवरे, डोनेल व्हीटकीर (1985)²¹ ने विद्यालय छोड़ देने की समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य व्हाइटफोल्ड काउंटी स्कूल के विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों के लिए एक पूर्वानुमानक समीकरण का निर्धारण करना था। इस के द्वारा निर्मित, विद्यालय छोड़ देने वाले / विद्यालय न छोड़ने वाले छात्रों के वर्गीकरण के लिए पूर्वानुमानक समीकरण 78.55% की दर पर सही था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित साहित्य की सहायता स निर्धारित की गयी, विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों की विशेषताओं का इस अध्ययन के परिणामों से पुष्टिकरण होता है।

स्वेन, क्लाउडिया जोन्स (1985)²² ने दबाव का प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की पठन संबंधी कठिनाई के एक कारक के रूप में अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि कुछ विषयों की विशिष्ट वैयक्तिक सीमाये पढ़ने में बाधा डालती है; अनेक विषयों में असफलता के परिणामस्वरूप छात्रों के वैयक्तिक जीवन में दबाव सफलतापूर्वक अपना स्थान बना लेता है। जिसके कारण कुछ समय पश्चात उन्हें पढ़ने में भौतिक कठिनाई अनुभव होने लगती है और यह उनके लिए एक चुनौती बन जाती है।

विल्सन, मारगट मेरी ब्लैन (1985)²³ ने प्रारम्भ में विद्यालय छोड़ देने की समस्या के समाधान हेतु अध्यापकों, परामर्शदाताओं, प्रशासकों और विद्यालय छोड़ देने वाले छात्रों द्वारा दिये गये सुझावों का एक खोजपूर्ण सर्वेक्षण किया। अध्ययन के परिणामों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की आयु को बढ़ाने तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन पर जोर दिया गया। अध्ययन में यह भी सिफारिश की गयी कि न केवल प्रारम्भिक कक्षाओं में वरन् सभी शैक्षिक वर्षों में विद्यार्थी के पढ़ने पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

²¹ Lowery, Donella Whitaker, Ed.D. University of Georgia, 1985 104 PP.

²² Swain, Claudia Jones, Ph.D. North Texas State University, 1985 434 PP.

²³ Wilson, Margaret Mary Blaine, Ed.D. George Peabody college for teachers of vanderbilt university, 1985. 81 PP

एडम्स, स्टीफेन के (1986)²⁴ ने न्यूयार्क राज्य में ड्रॉप आउट समस्या के निरोधक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि इस समस्या के समाधान हेतु विद्यालय कर्मियों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों की पुनर्शिक्षा के साथ-साथ पाठ्यक्रम के पुनर्निर्माण तथा छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है।

आगू, ऑगस्टाइन आबेलीगू (1986)²⁵ ने नाइजीरिया में राष्ट्र, राज्य और विद्यालय स्तर पर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह देखा गया कि नामांकन संख्या में वृद्धि के अनुपात में विद्यालय भवनों, प्रशिक्षित अध्यापकों आदि की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। इस अध्ययन ने अपने निष्कर्ष में यह संकेत दिया कि यदि विद्यालय सामाजिक तंत्र के रूप में कार्य नहीं करते हैं तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा जैसे प्रभावपूर्ण शैक्षिक सुधार सदैव मृगतृष्णा ही बनें रहेंगे।

केरोल, जूले (1986)²⁶ ने एक प्रमुख वाले शहरी सामुदायिक कालेज के नवागंतुक काले छात्रों में शैक्षिक सफलता और ड्रॉप आउट व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से यह संकेत मिलता है कि छात्रों का दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण अनेक चरों की पारस्परिक क्रिया से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। विद्यालय से स्थानान्तरित छात्रों और ड्रॉप आउट छात्रों में स्पष्ट भेद है। परिणाम छात्रों को उनकी उपलब्धि और अभिवृत्ति के संबंध में पर्याप्त परामर्श देने के महत्व का भी समर्थन करते हैं।

²⁴ Adams Stephania Faye, Ed.D. Columbia University Teachers college 1986 143 PP.

²⁵ Agu, Augustine obelcagu, Ed.D. Harvard University 1986, 269 PP.

²⁶ Carroll, Juollie, Ed.D. Calumbia University Teachers College, 1986, 227 PP.

कुलकर्णी, वी० एन० (1986)²⁷ ने सोलापुर (महाराष्ट्र) नगरपालिका क्षेत्र की विदि (फैकट्री) कामगार महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि अधिकांश विदि कामगार महिलाये अशिक्षित थीं और उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय होने के कारण उनके बच्चे विद्यालय जाने के स्थान पर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमा रहे थे। ऐसे परिवारों की केवल 5% बालिकायें विद्यालय जा रही थीं।

लेम्बर्ट, मर्सेल पी० (1986)²⁸ ने मौं के विश्वासों, प्रत्याशाओं और विशेषताओं का, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के ड्रॉप आउट पर प्रभाव का अध्ययन किया। यह अध्ययन मैक्सिसकों के शहरी क्षेत्रों की निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की महिलाओं पर किया गया। इस अध्ययन में देखा गया कि माताओं के विश्वासों, प्रत्याशाओं और विशेषताओं का उनके बच्चों की अध्ययन उपलब्धि और विद्यालय उपलब्धि (उन्नति या ड्रॉप आउट) से धनिष्ठ संबंध है।

मैकआरथर, ऐलिजाबेथ हूल (1986)²⁹ ने हाईस्कूल के ड्रॉप आउट छात्रों का अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि उच्च और निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों के हाईस्कूल के ड्रॉप आउट छात्रों की अनुपस्थिति की दरों अथवा उपलब्धि में कोई सांख्यिकीय सार्थक अंतर नहीं हो सकता; ड्रॉप आउट छात्र अपने आधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और इसलिये वे अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के लिये विद्यालय में लौटने की इच्छा व्यक्त करते हैं तथा; विद्यालय के बाहर की शक्तियों निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के छात्रों के ड्रॉप आउट पर बहुत कम प्रभाव डाल सकती हैं।

²⁷ Kulkarni, V.N., Ph.D. Edu., Shri university 1986.

²⁸ Lembert, Marcella P., Ph.D. Stanford University, 1986 240 PP.

²⁹ Mcarthur, Elizabeth Hoole, Ed.D. University of Georgia, 1986 251 PP.

नेफ, मेरिलिन जे० (1986)³⁰ ने एक प्रतिष्ठित विद्यालय के छात्र उपलब्धि, उपस्थिति और ड्रॉप आउट की दरों से सम्बन्धित प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रति विद्यालय कर्मियों के दण्डिकोण का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि विद्यालय कर्मियों के विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रति दण्डिकोण का छात्रों की विद्यालय उपलब्धि, उपस्थिति अथवा ड्रॉप आउट की दरों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नवचुक्कू , एलेक्शियस इमेका (1986)³¹ ने नाइजीरिया की सार्वभौमिक पब्लिक प्राथमिक शिक्षा के आधार (1900–1980) का ऐतिहासिक विश्लेषण किया। इस अध्ययन में देखा गया कि युद्धोत्तर काल में शिक्षा एवं शिक्षातंत्र पर नाइजीरिया वासियों के स्वनियंत्रण की तीव्र मांग उठने लगी थी। परिणामस्वरूप 1960 में नाइजीरिया की स्वाधीनता के साथ कुछ प्रादेशिक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UPE) योजनायें लागू की गयी। सम्पूर्ण राष्ट्र में UPE को लागू करने की प्रक्रिया 1961 में प्रारम्भ हुई जबकि आदिस-अबाबा (इथियोपिया) कांफेस में 1980 तक सम्पूर्ण महाद्वीप का UPE के अन्तर्गत लाने का निश्चय किया गया। परिणामस्वरूप 1980 में 13 मिलियन के नामांकन के साथ नाइजीरिया की प्राइमरी विद्यालय व्यवस्था अफ़्रीका की सबसे बड़ी प्राइमरी विद्यालय व्यवस्था थी।

राज्य शिक्षा संस्थान, उ० प्र० (1986)³² द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के ड्रॉप आउट तथा अनुत्तीर्ण होने की समस्या का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन राज्य के 4 क्षेत्रों—मध्य जोन, पूर्वी जोन, दक्षिणी जोन और पश्चिमी जोन तक सीमित था। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि कक्षा 6 से 8 तक

³⁰ Neff, Marilyan J., Ed.D.University of Miami, 1986 155 PP.

³¹ Nwachukwu, Alexius Emeka, Ph.D.University of Kansas, 1986. 288 PP

³² State Institute of Education (SIE), U.P.Allahabad, 1986.

15% छात्र विद्यालय छोड़ देते हैं और 4% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं; पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों में विद्यालय छोड़ देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक थी; विद्यालय छोड़ देने के प्रमुख कारण थे—माता-पिता की अशिक्षा, गरीबी, स्वाधि का अभाव, धर से विद्यालय की अधिक दूरी, विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, अध्यापकों की उदासीनता, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, विद्यालय में पानी और स्वच्छता जैसी भौतिक सुविधाओं का अभाव।

टोटा, फ्रैंक पीटर (1986)³³ ने छात्रों की उपलब्धि और ड्रॉप आउट की दरों के सम्बन्ध में नीति और लक्ष्य के निधारण तथा कियान्वयन का अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि विद्यालय बोर्ड द्वारा निर्मित और कियान्वित नीतियों और लक्ष्यों से जिले के सभी विद्यालयों में छात्रों की उपलब्धि में सुधार हुआ और ड्रॉप आउट की दरों में कमी आयी। परिणाम यह भी प्रदर्शित करते हैं कि निर्देशन, शिक्षण तकनीकों, वैकल्पिक शिक्षा और विद्यालय कर्मचारियों का प्रभाव भी ड्रॉप आउट पर पड़ता है।

विलियम्स, सिल्विया ब्रूक्स (1986)³⁴ ने एक शहरी पब्लिक स्कूल में काले हाईस्कूल और काले स्नातक छात्रों में ड्रॉप आउट समस्या का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य 5 चर समूहों के संदर्भ में, हाईस्कूल और स्नातक स्तर पर ड्रॉप आउट करने वाले निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के काले छात्रों में समानताओं और विभिन्नताओं को निर्धारित करना था। इन चर समूहों में सम्मिलित हैं—जनसंख्याकिक/व्यक्तिगत विशेषतायें, पारिवारिक विशेषतायें, शैक्षिक चर, विद्यालय के प्रति भावनाय और विद्यालय में समानता के प्रति भावनायें। परिणामों से ज्ञात हुआ कि पांचों चर समूहों के संदर्भ में दोनों समूहों में सार्थक अन्तर था।

³³ Tota, Frank Peter, Ed.D.Columbia University Teachers college, 1986, 195 PP.

³⁴ Williams Silvia Brooks, Ed.D.University of Houston, 1986, 181 PP.

बोकिल, बी० जी० (1987)³⁵ ने ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन कारकों का अध्ययन किया गया जो बालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में बाधक है तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को प्रभवित करते हैं। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि निम्न सामाजिक-आर्थिक व शैक्षिक स्तर के परिवारों की बालिकायें विद्यालय से वंचित थीं तथा जीविकोपार्जन के कार्यों में लगी थीं; सामान्यतः 8-9 वर्ष की आयु में बालिकाओं ने विद्यालय छाड़ दिया; अपेक्षकत अच्छे सामाजिक-आर्थिक व शैक्षिक स्तर के परिवारों की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन अधिक था; बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक घेरे—घर से विद्यालय की दूरी, शारीरिक विकलांगता, स्थाई घेरेलू कठिनाइयों और दिन भर शारीरिक श्रम करना।

झा, पी० (1987)³⁶ ने बालिका शिक्षा कैम्पस छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) का मूल्यांकन किया। इस शिक्षा केन्द्र की स्थापना 1980 में जनजातीय बालिकाओं तथा स्त्रियों कों शिक्षा प्रदान करनें के उद्देश्य से की गयी थी। किन्तु इस अध्ययन में देखा गया कि कैम्पस में जनजातीय बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और 1986 तक कैम्पस में केवल 3 बालिकाओं ने छठी कक्षा में प्रवेश लिया। 1986 के बाद से प्राथमिक कक्षायें भी नियमित रूप से नहीं चलीं।

महापात्रा, बी० (1988)³⁷ ने 1803 से 1903 के मध्य बंगाल प्रेसीडेन्सी के उड़ीसा डिवीजन में प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में प्रशासन द्वारा 1901 में वर्नाक्यूलर स्कीम को लागू करते समय स्थानीय

³⁵ Bokil, B.G., Ph.D. Edu., Poona University, 1987

³⁶ Jha, P., Tribal Research Institute, Bhopal, 1987

³⁷ Mohapatra, B. 1988, Ph.D. Edu. Utkal University.

आवश्यकता व साधनों की उपलब्धता पर आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने को सार्थक कदम कहा ।

रैना, बी० एल० (1988)³⁸ ने जम्मू कश्मीर के गाँवों में शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया । उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि बालिकाओं का नामांकन केवल 12% था जबकि ड्रॉप आउट की दर 13% थी ।

ठाकुर, टी० व अन्य (1988)³⁹ ने असम के 18 ज़िलों के 22 सब डिवीजनों में ड्रॉप आउट की समस्या का अध्ययन किया । उन्होंने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि कक्षा एक में ड्रॉप आउट की दर सर्वोच्च थी, ड्रॉप आउट, अवरोधन तथा नियमित उन्नति का प्रतिशत लड़कों तथा लड़कियों में क्रमशः 16.96%, 15.0%, 39.74%, 54.87%, तथा 43.3% व 30.12% था ।

गुप्ता, जे० के० व अन्य (1989)⁴⁰ ने शैक्षिक दष्टि पिछ़े 9 राज्यों में अवरोधन तथा ड्रॉप आउट की समस्या का अध्ययन किया । इस अध्ययन में देखा गया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल व असम में ड्रॉप आउट की दर 60% से भी अधिक थी ।

भार्गव, एस० एम० (1990)⁴¹ ने भारत में सवतंत्रता के पछात् 40 वर्षों में प्रारम्भिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि का अध्ययन किया । अध्ययन में देखा गया कि शैक्षिक सुविधायें 1957 में 59.75% थी जो कि 1986 में बढ़कर

³⁸ Raina, B.L. 1988, Ph.D., Edu. The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

³⁹ Thakur, T.; Sarma, Nirmala; Mahanta, U.J.; Sarma, Dipti & Goswami, G.C. 1988. Drop-out in the primary schools of Assam: A report, Independent study. State Institute of Education, Assam.

⁴⁰ Gupta, J.K.; Rastogi, P.K.; Gupta, M.K. & Srivastava, A.B.L. 1989. National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

⁴¹ Bhargava, S.M. 1990, Ph.D. Edu. The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

80.34% हो गयी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधायें 1978 में 38.5 थी जो कि 1986 में 74.46% हो गयी किन्तु फिर भी सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा अभी तक दूर की कौड़ी है।

बुच, एम० बी० तथा सुदामा, जी० आर० (1990)⁴² ने गुजरात के चयनित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष थे—बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्थानाभाव, ध्वनि प्रदूषण, अस्वास्थकर वातावरण व असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप, आदि समस्याओं से पीड़ित है; इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में भवन, पीने का पानी, प्रसाधन सुविधाओं, पुस्तकालयों व प्रयोगशलाओं का भी अभाव है।

पैकिक्यम, एम० (1990) ने तमिलनाडु के सक्रोताई पंचायत संगठन में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार थे—83% प्राथमिक विद्यालयों में प्रर्याप्त भौतिक सुविधाये नहीं थी; सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की अपेक्षा निजी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्राथमिक विज्ञान किट, पुस्तकालयों की पुस्तकों तथा कक्षाकक्ष सामग्री का अधिक उपयोग किया जा रहा था।

रोका, एस० डी० व अन्य (1990)⁴³ ने विस्तृत शिक्षण योजना की, हिन्दी भाषी राज्यों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के प्रति आकर्षित करने तथा उनके उपलब्ध स्तर में प्रभावकारिता का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में प्रतिदिन 2 घंटा शिक्षण कार्य होने पर भी

⁴² Buch, M.B. and Sudama, G.R. 1990. Urban Primary education in Gujarat: An indepth study . Independent study. The Maharaja Sayajirao University of Baroda.

⁴³ Roka, S.D; Rastogi, M.p & Verma, Savita, 1990 Comprehensive Access to Primari Education (CAPE) . UNICEF- assisted Project. Independent study. NCERT, New Delhi.

इन केन्द्रों के बच्चों की उपलब्धि उनके समानान्तर औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के समान थी।

चवरस, डी० एस० (1991)⁴⁴ ने अपने अध्ययन में पूना शहर के नगरपालिका विद्यालयों में डॉप आउट की घटती हुई प्रवत्ति की ओर संकेत किया जो कि कक्षा I,II,III व IV में क्रमशः 32%,15%,12%, व 8% थी।

गोविन्दा, आर० व वर्गीस, एन० वी० (1991)⁴⁵ ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि सुविधाओं की उपलब्धता; सीखने-सिखाने के वातावरण को उन्नत करने, शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा विद्यालयों के गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पधन, ए० (1991)⁴⁶ ने उड़ीसा के संभलपुर जिले में 1975-88 की अवधि में प्राथमिक शिक्षा का लागत-लाभ विश्लेषण किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला की अन्य चरों का प्रभाव स्थिर रखने पर विद्यालय लागत, अध्यापकों की योग्यता व अनुभव तथा छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर का विद्यालय उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

शर्मा, एच० एन० व अन्य (1991)⁴⁷ ने असम के जोरहाट जिले में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि

⁴⁴ Chavares, D.S.1991. The problem students dropping out of primary schools of the Pune Municipal Corporation. M.Phil., Soc. Sc. Tilak Maharastra Vidyapeeth.

⁴⁵ Govinda, R. and Varghese, N.V.1991. The quality of basic education services in India- A case study of primary schooling Madhya Pradesh. independent study. National Institute of Educational Planning and Administration

⁴⁶ Padhan, A.1991, Ph.D. Edu. Nagpur University.

⁴⁷ Sarma, H.N.; Dutta, Binecta & Sharma, Dipti. 1991. Identification of the Problems of primary education.Independent study. Jorhat : State Institute of education.

अधिकांश विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव था तथा 81% विद्यालयों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इन्हीं अनुसंधानकर्ताओं ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षण सहायक सामग्री की दृष्टि से अपेक्षाकृत अच्छी थी।

शर्मा, एच० एन० व अन्य (1991)⁴⁸ ने जोरहाट जिले में 30 छात्रों का न्यादर्श चुनकर प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन में 64% अध्यापकों व प्रधानध्यापकों ने छात्रों की अनियमित उपस्थिति के मुख्य समस्या माना। उनके अनुसार अनियमित उपस्थिति के परिणामस्वरूप छात्रों का उपलब्धि स्तर निम्न हो जाता है। जिससे अवरोधन की समस्या उत्पन्न होती है।

बिरडी, बी० (1992)⁴⁹ ने 1947 से 1987 के मध्य पंजाब में प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष था कि प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि होने पर भी यह सम्पूर्ण देश के औसत से पिछड़ी हुई है।

मिश्रा, ए० (1992)⁵⁰ ने उड़ीसा में 1947 से 1977 के मध्य बालिकाओं की शिक्षा के गुणात्मक तथा मात्रात्मक प्रसार का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा गया कि कटक जिले में सर्वाधिक नामांकन (217,000) था। जबकि फूलबनी जिले में सबसे कम नामांकन (30,000) था।

⁴⁸ Sharma, H.N.; Dutta, Binceta & Sharma, Dipti. 1991. Indification of the Problems of relating to in upper primary level. Independent study. Jorhat: State Institute of Education.

⁴⁹ Birdi, Bimlesh. 1992. Ph.d. Edu. Punjabi University.

⁵⁰ Mishra, A. 1992. A study on the development of girls'. Education at the Primary stage in orissa since Independence to 1977. M.Phil., Edu. Revenshaw college Cuttack.

मिश्रा, ए० (1992) ने उड़ीसा में सवतंत्रता के पश्चात् बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के विकास का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा कि 1947 से 1965 के मध्य बालिका विद्यालयों में नियमित वृद्धि हुई किन्तु 1965-66 और 1977-88 की अवधि में इस वृद्धि में कमी आयी जिसके परिणामस्वरूप यह वृद्धि 1947 में 2.801% से घटकर 1977 में 0.607% हो गयी जबकि प्राथमिक विद्यालयों में स्थिर व नियमित वृद्धि हुई है।

नायक, एस० (1992)⁵¹ ने उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा के विकास में स्थानीय नेताओं की भूमिका का अध्ययन किया। इस अध्ययन में देखा कि 1951-52 और 1988-89 के मध्य विद्यालयों तथा अध्यापकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने स्वतन्त्रोत्तर काल में 68% नये प्राथमिक विद्यालय खोले जिससे जनजातीय बच्चों का नामांकन 52% हो गया।

एन० सी० ई० आई० टी० (1992) के पांचवे अंतिम भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार 1978 में चौथे सर्वेक्षण की समाप्ति के पश्चात् 1986 तक प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में 11.92% की वृद्धि हुई, 1986 में सकल नामांकन अनुपात 93.63% था। लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में चौथे सर्वेक्षण से पाचवें सर्वेक्षण के मध्य केवल 4.69% की वृद्धि हुई, यह कुल सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि के आधे से भी कम है। यह लड़कियों का नामांकन में न्यून उन्नति का स्पष्ट प्रमाण है।

राल्टे, एल० (1992)⁵² ने स्वतन्त्रोत्तर काल में मिजोरम में प्राथमिक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस अवधि में

⁵¹ Naik, Sipra 1992 Ph.D. Edu. North- Eastern Hill University.

⁵² Ralte, Lalliani 1992 Ph.D., Edu. North-Eastern Hill University.

मिजोरम में प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। राल्टे, एल0 के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा में भागीदारिता 1948 में 50% से बढ़कर 1979 में 93% हो गयी जबकि लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय 36.8% था जो कि लड़कों की शिक्षा में अपव्यय (31.3%) से थोड़ा अधिक था। राल्टे, एल0 के अनुसार, केवल 55% विद्यालय उचित रूप से कक्षाकक्षों में विभाजित थे तथा भण्डार गह, छात्र विश्राम कक्ष व पुस्तकालय कक्ष आदि की सुविधाये लगभग अनुपस्थित थी।

शर्मा, ए0 (1992)⁵³ ने उत्तर-प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का अध्ययन किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकाश शिक्षा केन्द्र (62%) शिक्षार्थियों की दृष्टि से सुविधाजनक स्थानों पर स्थित थे किन्तु इन केन्द्रों में भौतिक सुविधायें पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं थीं। केवल 20% केन्द्रों में अच्छी भौतिक सुविधायें थीं जबकि 50% केन्द्र पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षण सामग्री, स्टेशनरी आदि की अनुपस्थिति में काम कर रहे थे। इस अध्ययन में यह भी देखा गया कि अधिकांश डॉप आउट छात्र पहले अथवा पहले व दूसरे वर्ष के थे।

शर्मा, एन0 (1992)⁵⁴ ने चाय बागान श्रमिक समुदाय के बच्चों की समस्याओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह था कि भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता असंतोषजनक थी। 80% विद्यालयों के पास मात्र एक हाल था जिसमें कक्षाकक्षों का विभाजन नहीं था तथा 60% विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी जिनमें पर्याप्त संख्या में डेस्क व बैंच थीं।

⁵³ Sharma, Abha. 1992 Ph.D. Edu. University of Lucknow.

⁵⁴ Sarma, Nirmala 1992 Independent study. Jorhat: State Institute of Education.

व्यास, जै० सी० व अन्य (1992)⁵⁵ ने राजस्थान में 1992 में ड्राप आउट दर का अध्ययन किया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे— कुल ड्राप आउट दर 44.66% थी जबकि लड़कियों की ड्राप आउट दर 53.67% थी; ग्रामीण व शहरी विद्यालयों की ड्राप आउट दर में सार्थक अन्तर ($30.39\%-42.98\%$) था; लड़कियों व लड़कों की ड्राप आउट दर में सार्थक अन्तर ($52.24\%-43.98\%$) था; घर से विद्यालय की दूरी का ड्राप आउट से कोई संबंध नहीं था; शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात का ड्राप आउट दर से सह सम्बन्ध था; ढांचागत सुविधाओं तथा ड्राप आउट में सार्थक संबंध नहीं था।

⁵⁵ Vyas, J.C. et. al. 1992 Independent study. Udaipur: State Institute of Educational Research and Training.

तृतीय अध्याय

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित आकड़े एकत्र करने हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस विधि में व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं (अथवा समष्टियों) का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्शों के आधार पर इस आशय से किया जाता है, ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रम, वितरणों तथा पारस्परिक अन्तः सम्बन्धों का ज्ञान उपलब्ध हो सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण अनुसन्धान का स्वरूप अन्वेषणात्मक होता है तथा इसमें साधारण घटनाओं से सम्बन्धित चरों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का गुण यह है कि इसमें अध्ययन का आधार प्रायः यादृच्छिक प्रतिचयन रहता है, जिससे परिशुद्ध, वस्तुपरक व विश्वसनीय आंकड़ों के संकलन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन में अधिक सूचना कम खर्च तथा कम समय में उपलब्ध होती है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि को चुना क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन अत्यधिक उपयुक्त रहता है। इसके द्वारा शिक्षा सम्बन्धी तथ्यों के संकलन में विशेष सुविधा मिलती है।

►न्यादर्श:-

प्रस्तुत अनुसन्धान में कानपुर नगर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को न्यादर्श के रूप में लिया गया। प्रस्तुत अनुसन्धान के न्यादर्श में निम्नलिखित सम्मिलित थे -

1. परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक में पढ़ने वाली 100 बालिकायें।
2. परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं के 100 अभिभावक।
3. परिषदीय विद्यालयों के 100 अध्यापक।

► न्यादर्शन :

प्रस्तुत अध्ययन में कानपुर नगर निगम के सुपरिनेन्डेंट आफ एजुकेशन के कार्यालय से कानपुर नगर के परिषदीय विद्यालयों की सूची तथा कक्षा एक से पांच तक विद्यालयानुसार बालक व बालिकाओं का नामांकन ज्ञात किया। कानपुर नगर के कुल 207 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 50 विद्यालयों का चयन यादृच्छिक निर्दर्शन विधि से किया गया। सुपरिनेन्डेंट आफ एजकेशन के कार्यालय से प्राप्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची में से प्रत्येक चौथा विद्यालय न्यादर्श के रूप में लिया गया। यह यादृच्छिक न्यादर्शन की निश्चित क्रम विधि कहलाती है। इस विधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण जाति की एक सूची तैयार करते हैं और फिर किसी क्रम के अनुसार इकाइयों का चुनाव करते हैं।

शिक्षकों / शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के चयन हेतु सम्भावव्यता न्यादर्शन की उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकाओं की संख्या निश्चित नहीं है। कई विद्यालयों में तो मात्र एक ही शिक्षक/शिक्षिका नियुक्त है। इस हेतु यादृच्छिक निर्दर्शन प्रणाली का प्रयोग करना लगभग असंभव था क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक में पढ़ने वाली समस्त बालिकाओं के अभिभावकों के नामों की सूची तथा इन विद्यालयों के समस्त अध्यापकों के नामों की सूची तैयार करने की आवश्यकता थी जबकि सीमित समय एवं साधनों से इस कार्य को करना अत्यन्त दुष्कर था। अतः उद्देश्यपरक न्यादर्शन का प्रयोग किया गया। इस विधि के अन्तर्गत केवल समस्या से प्रत्यक्षरूप से सम्बन्धित व्यक्तियों से ही सम्पर्क किया जाता है। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार पूर्ण जाति से इकाइयों का चुनाव करता है। अभिभावकों तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं से न केवल प्रश्नावली को भरवाया गया बरन् उनसे विस्तृत चर्चा भी की गयी।

अध्ययन हेतु 100 बालिकाओं का चयन यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया। इसके लिए अध्ययन हेतु चयनित 50 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय से 2 बालिकाओं का चयन किया गया।

►प्रदत्त संकलन की विधि:-

प्रस्तुत अनुसंधान में प्रदत्त संकलन हेतु सर्वप्रथम कानपुर नगर निगम के सुपरिनेटेन्डेट आफ एजुकेशन के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर कानपुर नगर के परिषदीय विद्यालयों की सूची तथा कक्षा एक से पांच तक विद्यालयानुसार बालक व बालिकाओं का नामांकन ज्ञात किया। तत्पश्चात् कानपुर नगर में स्थित परिषदीय विद्यालयों से सम्पर्क करके कक्षा एक से पांच तक की प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की उपस्थिति का प्रतिशत, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या एवं डॉप आउट होने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात करने का प्रयास किया। किन्तु सुपरिनेटेन्डेट आफ एजुकेशन के कार्यालय तथा विद्यालय के अध्यापकों से ज्ञात हुआ कि कक्षा एक से पांच तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान नहीं है। अतः अध्यापकों का कहना था कि वे जिस छात्र/छात्रा को उत्तीर्ण होने के योग्य नहीं समझते उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर देते हैं। इस कारण उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। डॉप आउट होने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सितम्बर माह में छात्राओं की संख्या ज्ञात की गयी क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में सितम्बर माह तक छात्र/छात्राओं को विद्यालय में भर्ती करने का प्रावधान है। इसी प्रकार सत्र के अन्त में कक्षा विशेष में छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अप्रैल माह में छात्राओं की संख्या ज्ञात की गयी।

►उपकरण तथा उसका प्रशासन:-

आंकड़ों के संकलन हेतु तीन प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया है:-

1. प्रश्नावली (अध्यापकों हेतु)
2. प्रश्नावली (अभिभावकों हेतु)
3. प्रश्नावली (बालिकाओं हेतु)

इन प्रश्नावलियों का प्रशासन 100 अध्यापकों, 100 अभिभावकों तथा 100 छात्राओं (कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं) पर किया गया। इन तीनों समूहों पर प्रशासित की जानेवाली प्रश्नावली समान थी किन्तु उसमें समूह के अनुरूप प्रश्नों की भाषा में कुछ अन्तर अवश्य था। अभिभावकों तथा छात्राओं पर प्रश्नावली का प्रशासन करने से पहले उनके साथ साहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये गये। इसके पश्चात् उनसे प्रश्न पूछकर तथा उसके विकल्प उत्तर बताने के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने स्वयं ही प्रश्नावली को भरा क्योंकि छात्राओं तथा उनके अभिभावकों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे प्रश्नावली को स्वयं भर सके। अध्यापकों पर प्रश्नावली का प्रशासन करना अपेक्षाकृत सुगम रहा यद्यपि अनेक अध्यापक संशकित थे और कुछ अध्यापकों ने प्रश्नावली को भरने में असमर्थता व्यक्त की अथवा प्रश्नावली को भरना अस्वीकार कर दिया।

►आंकड़ों का विश्लेषण:-

आंकड़ों का संकलन करने पश्चात् उनका तालिकाओं में वर्गीकरण किया गया तथा प्रतिशत के आधार पर उनका संरिक्षकीय विश्लेषण किया गया। जिसका विस्तृत वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया गया है।

चतुर्थ अध्याय

आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण

आंकड़ों के संकलन के पश्चात् निश्चित परिणामों तक पहुँचने हेतु आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर नामांकन, बालिकाओं की औसत उपस्थिति, ड्राप आउट करने वाली छात्राओं की स्थिति तथा ड्राप आउट के कारणों को जानने का प्रयास किया गया।

तालिका संख्या 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन

कक्षा	कुल विद्यार्थी संख्या			प्रतिशत		बालक व बालिकाओं का अनुपात
	बालक	बालिकायें	योग	बालक	बालिकायें	
1	1724	3637	5361	32.16	67.84	1:2
2	1276	2893	4169	30.61	69.39	1:2
3	835	2177	3012	27.72	72.28	1:2
4	563	1687	2250	25.02	74.98	1:2
5	428	1312	1740	24.59	75.46	1:3

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कक्षा 1 में कुल विद्यार्थी संख्या 5361 है। जिनमें 1724 बालक और 3637 बालिकायें हैं अर्थात् 32.16% बालक और 67.84% बालिकायें हैं। कक्षा 2 में कुल विद्यार्थी 4169 है जिनमें 1276 बालक और 2893 बालिकायें हैं अर्थात् 30.61% बालक और 69.39% बालिकायें हैं। कक्षा 3 में कुल विद्यार्थी 3012 है जिनमें 835 बालक और 2177 बालिकायें हैं अर्थात् 27.72% बालक और 72.28% बालिकायें हैं। कक्षा 4 में कुल विद्यार्थी 2250 है जिनमें 563 बालक और 1687 बालिकायें हैं अर्थात्

25.02% बालक और 74.98% बालिकायें हैं। कक्षा 5 में कुल विद्यार्थी 1740 हैं जिनमें 428 बालक और 1312 बालिकायें हैं अर्थात् 24.59% बालक और 75.46% बालिकायें हैं। बालक और बालिकाओं का अनुपात कक्षा 1, 2, 3, व 4 में 1:2 है तथा कक्षा 5 में 1:3 है।


तालिका संख्या 4.2

कक्षावार छात्राओं की औसत उपस्थिति

कक्षा	सत्र	औसत उपस्थिति
1	1995–96	70.14%
2	1995–96	64.21%
3	1995–96	66.94%
4	1995–96	66.67%
5	1995–96	70.89%

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कक्षा एक में सत्र 1995–96 में छात्राओं की औसत उपस्थिति 70.14% थी। इसी सत्र में कक्षा 2 में औसत उपस्थिति 64.21% थी। इसी प्रकार कक्षा 3, 4 व 5 में औसत उपस्थिति क्रमशः 66.67% व 70.89% थी।

Average Attendance of Girls (1995-96)



उपयुक्त रेखाचित्र में कोटि अक्ष पर छात्राओं की औसत उपस्थिति की और भुजाका पर कक्षा को दर्शाया गया है। रेखाचित्र को देखने से ज्ञात होता है कि कक्षा एक की छात्राओं की औसत उपस्थिति 70.14% है। इसके पश्चात् कक्षा 2 में औसत उपस्थिति का ग्राफ गिर कर 64.21 पर पहुंच जाता है जो कि नवीनतम है। कक्षा 3 व 4 में औसत उपस्थिति का ग्राफ लगभग स्थिर रहकर कक्षा 5 में पुनः उठ कर कक्षा 1 के लगभग समान उचाई पर पहुंच गया है।

तालिका संख्या 4.3


सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं की स्थिति

कक्षा	सत्र	सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने (Drop out) वाली बालिकाओं का प्रतिशत
1	1991–92	15.63%
2	1992–93	17.06%
3	1993–94	22.45%
4	1994–95	13.76%
5	1995–96	9.7%

उपयुक्त सारणी से ज्ञात होता है कि कक्षा एक में 1991–92 में सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली छात्राओं का प्रतिशत 15.63 था ये छात्रायें जब कक्षा 2 (1992–93) में पहुंची तब विद्यालय छोड़ने वाली छात्राओं का पतिशत बढ़कर 17.06 हो गया। इसी प्रकार कक्षा 3 (1993–94) में यह प्रतिशत 22.45 हो गया जो सर्वाधिक है। इसके पश्चात् यह प्रतिशत गिरने लगा जो कि कक्षा 4 (1994–95) में 13.76 तथा कक्षा 5 (1995–96) में 9.7 रह गया।

अतः कक्षा 3 में विद्यालय छोड़ने वाली छात्राओं का प्रतिशत सबसे अधिक और कक्षा 5 में सबसे कम है।

रेखाचित्र 4.2



रेखाचित्र से भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो रहा है। उपरोक्त रेखाचित्र में कोटि अक्ष पर सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ने वाली छात्राओं का प्रतिशत दर्शाया गया है तथा भुजाक्ष पर कक्षा तथा उससे सम्बन्धित सत्र को दर्शाया गया है। रेखाचित्र को देखने से ज्ञाता होता है कि कक्षा 1 से 3 तक सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली छात्राओं के प्रतिशत को दर्शाने वाला ग्राफ ऊपर उठता है और कक्षा 3 में यह अपनी अधिकतम ऊँचाई पर पहुंच कर गिरने लगता है तथा कक्षा 5 में यह अपनी न्यूनतम ऊँचाई पर है।

तालिका संख्या 4.4

बालिकाओं की विद्यालय से अनुपस्थिति के कारण

विकल्प	बालिकाओं का मत (प्रतिशत में)	अध्यापकों का मत (प्रतिशत में)	अभिभावकों का मत (प्रतिशत में)
मेहमानों का आना	35%	—	32%
छोटे भाई-बहनों की देखभाल	30%	—	12%
माता-पिता की अस्वस्थता	62%	—	28%
घर के कामों में व्यस्तता	40%	70%	—
घर से विद्यालय की अधिक दूरी	—	16%	—
विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति	—	12%	—
विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव	—	42%	—
धनाभाव	—	58%	—
छात्राओं में रुचि का अभाव	5%	—	—
धन अर्जन हेतु कार्य	28%	—	—
अन्य कारण	—	26%	4%

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि 35% बालिकायें और 32% अभिभावक मेहमानों के आने को बालिकाओं की विद्यालय से अनुपस्थिति का कारण मानते हैं किन्तु अध्यापकों ने इस कारण को कोई महत्व नहीं दिया है। छोटे भाई-बहनों की देखभाल को अनुपस्थिति का कारण मानने वाली बालिकायें 30% और अभिभावक 12% हैं। अध्यापकों ने इस कारण से भी असहमति प्रकट की है। माता-पिता की अस्वस्थता को अनुपस्थिति का कारण मानने वाली बालिकायें 62% तथा अभिभावक 28% हैं। अध्यापक इस कारण से असहमत है। घर के कामों में व्यस्तता को 40% बालिकायें और 70% अध्यापक अनुपस्थिति का कारण मानते हैं। जबकि कोई भी अभिभावक इस कारण से सहमत नहीं है। घर से विद्यालय की अधिक दूरी को 16% अध्यापक अनुपस्थिति का कारण मानते हैं।

है किन्तु बालिकायें और अभिभावक इस कारण से सहमत नहीं है। विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति को 12% अध्यापक अनुपस्थिति का कारण मानते हैं किन्तु बालिकायें और अभिभावक इस कारण से सहमत नहीं है। विद्यालय में प्रात्साहन के अभाव को 42% अध्यापक अनुपस्थिति का कारण मानते हैं किन्तु बालिकायें और अभिभावक इस विचार से सहमत नहीं है। धनाभाव को 58% अध्यापक अनुपस्थिति का कारण मानते हैं और बालिकायें तथा अभिभावक इस विचार से असहमत है। रुचि के अभाव को 5% बालिकाओं ने अनुपस्थिति का कारण बताया है जबकि अध्यापकों व अभिभावकों ने इस कारण को कोई महत्व नहीं दिया है। धन..अर्जन हेतु कार्य को 28% बालिकाओं ने अनुपस्थिति का कारण माना है जबकि अध्यापक तथा अभिभावक इस कारण से सहमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 26% अध्यापकों तथा 4% अभिभावकों ने कुछ अन्य कारणों पर भी प्रकाश डाला है।

माता-पिता की अस्वस्थता को अनुपस्थिति का कारण बताने वाली बालिकाओं का प्रतिशत सर्वाधिक (62%) है। घर के कामों में व्यस्तता को अनुपस्थिति का कारण मानने वाले अध्यापकों का प्रतिशत सर्वाधिक (70%) है। इसी प्रकार भेहमानों के आने को अनुपस्थिति का कारण मानने वाले अभिभावकों का प्रतिशत सर्वाधिक (32%) है। इस प्रकार तीनों ही मतों में भिन्नता प्राप्त हो रही है।

तालिका संख्या 4.5

सत्र के मध्य में बालिकाओं द्वारा पढ़ाई छोड़ देने के कारण

विकल्प	बालिकाओं का मत (प्रतिशत में)	अध्यापकों का मत (प्रतिशत में)	अभिभावकों का मत (प्रतिशत में)
माता-पिता की अस्वस्थता	6%	-	28%
छोटे भाई-बहनों की देखभाल	6%	-	12%
घर के कामों में व्यस्तता	11%	60%	-
धनाभाव	17%	70%	4%
घर से विद्यालय की अधिक दूरी	-	10%	-
विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव	-	14%	-
विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति	-	6%	-
अन्य कारण	18%	40%	4%

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 6% बालिकायें और 28% अभिभावक माता-पिता की अस्वस्थता को छात्राओं द्वारा सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ देने का कारण मानते हैं किन्तु अध्यापकों ने इस मत को नकार दिया है। छोटे भाई-बहनों की देखभाल को 6% बालिकायें और 12% अभिभावक पढ़ाई छोड़ देने कारण मानते हैं। किन्तु अध्यापकों ने इस मत को नकार दिया है। घर के कामों में व्यस्तता को 11% बालिकायें और 60% अध्यापक पढ़ाई छोड़ देने का कारण मानते हैं किन्तु अभिभावकों ने इस मत को नकार दिया है। धनाभाव को 17% बालिकाये, 70% अध्यापक और 4% अभिभावक पढ़ाई छोड़ देने का कारण मानते हैं। घर से विद्यालय की अधिक दूरी को 10%, विद्यालय में प्रोत्साहन के अभाव को 14% और विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति को 6% अध्यापक पढ़ाई छोड़ देने का कारण मानते हैं किन्तु बालिकायें और अभिभावक इन तीनों कारणों से सहमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 18%

बालिकाओं, 40% अध्यापकों और 4% अभिभावकों ने कुछ अन्य कारण भी बताये हैं। धनाभाव को बालिकाओं और अध्यापकों ने सर्वाधिक महत्व दिया है जबकि अभिभावकों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माता-पिता की अस्वस्थता को माना है।

तालिका संख्या 4.6

छात्राओं की उपलब्धि का स्तर सन्तोषजनक न होने के कारण

विकल्प	बालिकाओं का मत (प्रतिशत में)	अध्यापकों का मत (प्रतिशत में)	अभिभावकों का मत (प्रतिशत में)
नहीं मालूम	81%	30%	-
परीक्षा में अनुपस्थित	1%	-	-
घर के कामों में व्यस्तता	6%	-	-
शिक्षा में स्थिरि का अभाव	8%	-	-
धन अर्जन हेतु कार्य	4%	-	-
मॉं की अस्वस्थता	2%	-	-
बुद्धि की कमी	1%	2%	-
निर्देशन का अभाव	-	2%	-
अभिभावकों की उदासीनता	-	22%	-
शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति	-	8%	-
परिश्रम का अभाव	-	34%	-
गरीबी	-	6%	-

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि बालिकाओं की उपलब्धि का स्तर सन्तोषजनक न होने के कारण जब अभिभावकों से पूछे गये तो किसी भी अभिभावक ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अतः अभिभावकों में इस समस्या के प्रति चेतना का अभाव है। इसी प्रकार 81% बालिकायें और 30% अध्यापकों ने अनभिज्ञता प्रकट की है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में अनुपस्थित रहने को

1%, धर के कामों में व्यस्तता को 6%, शिक्षा में रुद्धि के अभाव को 8%, धन अर्जन हेतु कार्य को 4%, मॉ की अस्वस्थता को 2% बालिकाओं ने उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने कारण बताया। जबकि अध्यापकों ने इन पांचों कारणों को नकार दिया है। बुद्धि की कमी को 1% बालिकायें और 2% अध्यापक कारण के रूप में बताते हैं। निर्देशन के अभाव को 2%, अभिभावकों की उदासीनता को 22%, शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति को 8%, परिश्रम के अभाव को 34% और गरीबी को 6% अध्यापक कारण के रूप में बताते हैं जबकि बालिकायें इन पांचों कारणों से असहमत हैं। परिश्रम के अभाव को उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने का कारण बताने वाले अध्यापकों का प्रतिशत सर्वाधिक (34%) है।

तालिका संख्या 4.7

शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में आकांक्षा स्तर

विकल्प	बालिकाओं का मत (प्रतिशत में)	अभिभावकों का मत (प्रतिशत में)
प्राथमिक स्तर	10%	-
जूनियर हाई स्कूल स्तर	6%	12%
निम्न माध्यमिक स्तर	30%	56%
उच्चतर माध्यमिक स्तर	15%	12%
स्नातक स्तर	14%	12%
परास्नातक स्तर	25%	8%
योग	100	100

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 10% बालिकाय प्राथमिक स्तर तक, 6% बालिकायें जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 30% बालिकायें निम्न माध्यमिक स्तर

तक, 15% बालिकायें उच्चतर माध्यमिक स्तर तक, 14% बालिकायें स्नातक स्तर तक और 25% बालिकायें परास्नातक स्तर तक पढ़ना चाहती हैं। किसी भी अभिभावक ने अपनी बालिकओं को केवल प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कराने की इच्छा प्रकट नहीं की है। 12% अभिभावक जूनियर हाईस्कूल स्तर तक, 56% अभिभावक निम्न माध्यमिक स्तर तक, 12% अभिभावक उच्चतर माध्यमिक स्तर तक, 12% अभिभावक स्नातक स्तर तक और 8% अभिभावक परास्नातक स्तर तक अपनी बालिकाओं को पढ़ाना चाहते हैं।

तालिका संख्या 4.8

विद्यालय भवन तथा उपकरणों के प्रति सन्तुष्टि का स्तर

विकल्प	बालिकाओं का मत (प्रतिशत में)	अभिभावकों का मत (प्रतिशत में)
विद्यालय भवन	50%	8%
विद्यालय का फर्नीचर	51%	4%
विद्यालय के शिक्षक	50%	36%
शिक्षण कार्य	43%	32%
शिक्षकों की उपस्थिति	24%	16%
मध्यान्ह भोजन	12%	0%
अन्य सुविधायें	—	4%
किसी चीज से नहीं	—	52%

उपयुक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 50% बालिकायें और 8% अभिभावक विद्यालय भवन से सन्तुष्ट हैं। 51% बालिकायें और 4% अभिभावक विद्यालय के फर्नीचर से सन्तुष्ट हैं। 50% बालिकायें और 36% अभिभावक विद्यालय के शिक्षकों से सन्तुष्ट हैं। 43% बालिकायें और 32% अभिभावक

शिक्षण कार्य से सन्तुष्ट है। 24% बालिकायें और 16% अभिभावक शिक्षकों की उपस्थिति से सन्तुष्ट हैं। 12% बालिकायें मध्याह्न भोजन से सन्तुष्ट है किन्तु कोई भी अभिभावक मध्याह्न भोजन से सन्तुष्ट नहीं है। विद्यालय की अन्य सुविद्याओं से 4% अभिभावक सन्तुष्ट हैं। 52% अभिभावक विद्यालय की किसी भी चीज से सन्तुष्ट नहीं है। शिक्षकों से यह प्रश्न नहीं पूछा गया।

पंचम् अध्याय

►निष्कर्ष :

आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए -

1. प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की नामांकन संख्या बालकों की तुलना में अधिक है। साथ ही यह संख्या असन्तोषजनक भी नहीं है। अतः प्रथम परिकल्पना “प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की नामांकन स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।” असत्य सिद्ध होती है। इस प्रकार अनुसंधान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की समस्या नामांकन की समस्या नहीं है।
2. छात्राओं की औसत उपस्थिति किसी भी कक्षा में 70% से अधिक नहीं है अर्थात् कम से कम 30% छात्रायें प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित रहती हैं। इस प्रकार द्वितीय परिकल्पना, “प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की सामान्य उपस्थिति सन्तोषजनक नहीं है।” भी असत्य सिद्ध हो रही है।
3. अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन करने पर छात्राओं ने माता-पिता की अस्वस्थता, अभिभावकों ने मेहमानों का आना तथा अध्यापकों ने गृह कार्य में व्यस्तता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण माना है।
4. प्राथमिक स्तर पर सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कक्षा 3 में सर्वाधिक (22.45) है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट का स्तर उच्च है। अतः तीव्र परिकल्पना “प्राथमिक स्तर पर सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने (ड्रॉप आउट) वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है।” सत्य सिद्ध होती है।

5. बालिकाओं द्वारा प्राथमिक स्तर पर सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने के कारणों का अध्ययन करने पर, धनाभाव को छात्राओं द्वारा सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ देने का कारण मानने वाले अध्यापकों और बालिकाओं का प्रतिशत सर्वाधिक है तथा अभिभावक माता-पिता की अस्वस्थता के कारण को अधिक महत्व देते हैं।
6. छात्राओं की उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने के कारणों में अध्यापकों ने परिश्रम के अभाव को सर्वाधिक महत्व दिया है और बालिकाओं ने इस सम्बन्ध में अधिकांशतः अनभिज्ञता प्रकट की है।
7. निम्न माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाली बालिकाओं का प्रतिशत और इसी स्तर तक अपनी बालिकाओं को शिक्षा दिलाने की इच्छा रखने वाले अभिभावकों का प्रतिशत सर्वाधिक है। इस प्रकार बालिकाओं तथा उनके अभिभवाकों का आकांक्षा स्तर भी उच्च नहीं है। अतः चौथी परिकल्पना “बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं।” असत्य सिद्ध होती है।
8. विद्यालय भवन तथा उपकरणों के प्रति सन्तुष्टि के स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि विद्यालय के फर्नीचर से सन्तुष्ट बालिकाओं और विद्यालय के के शिक्षकों से सन्तुष्ट अभिभावकों का प्रतिशत सर्वाधिक है जबकि 52% अभिभावक विद्यालय की प्रत्येक चीज से असन्तुष्ट हैं।

►व्याख्या:-

सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बालिकाओं की नामांकन संख्या बालकों की

तुलना में अधिक है। कक्षा एक से कक्षा चार तक बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा 2 गुनी है जबकि कक्षा पांच में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा 3 गुनी है। कक्षा एक से पांच तक विद्यार्थियों का नामांकन लगातार कम होता जाता है। बालकों की नामांकन संख्या में बालिकाओं की अपेक्षा तीव्र गति से कमी आती है। यही कारण है कि कक्षा एक से पांच तक कुल विद्यार्थियों में बालकों का प्रतिशत कम होता जाता है और बालिकाओं का बढ़ता जाता है। इस विषमता का कारण संभवतः समाज में व्याप्त लिंग भेद है। अधिकांश अभिभावक बालकों की शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें निजी क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश दिलाते हैं क्योंकि इनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है। जबकि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करना अभिभावकों की दृष्टि में अपव्यय है अतः वे परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए बाध्य होती है क्योंकि इन विद्यालयों की शिक्षा निःशुल्क है। इस प्रकार बालिकाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा मात्रात्मक रूप से सन्तोषजनक दिखाई पड़ती है किन्तु यदि हम गुणात्मक दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होता है कि बालिकाओं प्राप्त होने वाली शिक्षा निम्न स्तरीय है वे विद्यालय जाने के बाद भी अशिक्षित रह जाती हैं। अतः बालिकाओं की शिक्षा के उन्नयन हतु परिषदीय विद्यालयों में गुणात्मक सुधार की महती आवश्यकता है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्राओं की औसत उपस्थिति सन्तोषजनक है। कक्षा 1 तथा कक्षा 5 में छात्राओं की औसत उपस्थिति (क्रमशः 70.14%, 70.89%) कक्षा 2, 3 व 4 में छात्राओं की औसत उपस्थिति (क्रमशः 64.21%, 66.94%, 66.67%) की तुलना में अधिक है। इसका कारण संभवतः यह है कि कक्षा 1 की छात्राओं की आयु इतनी कम होती है कि वे अपने परिवार के लिए कोई रोजगार नहीं कर सकती तथा उनके कारण अभिभावकों के कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः अभिभावक उन्हें विद्यालय भेजने में सुविधा अनुभव करने हैं। जबकि कक्षा 2, 3 व 4 की छात्रायें अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल, घर के कामों में मां का हाथ बटाना, राजगार करना जैसे कार्य

करने लगती है। अतः विद्यालय में उनकी उपस्थिति कम रहती है। किन्तु कक्षा 5 तक आते-आते छात्रायें अध्ययन के प्रति कुछ गम्भीर हो जाती है जिसके कारण उनकी औसत उपस्थिति कक्षा 5 में अधिक है।

बालिकाओं की विद्यालय से अनुपस्थिति के कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है बालिकाओं ने मेहमानों का आना, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, माता-पिता की अस्वस्थता, घर के कामों में व्यस्तता, खूबि का अभाव तथा धन अर्जन हेतु कार्य को विद्यालय से अनुपस्थिति का कारण माना है अभिभावकों ने इनमें से पहले त्रीन कारणों पर जोर दिया है। अतः बालिकाओं तथा अभिभावकों के मत में लगभग समानता है। किन्तु अध्यापकों ने घर के कामों में व्यस्तता, घर से विद्यालय की अधिक दूरी, विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव तथा धनाभव जैसे कारणों को महत्वपूर्ण माना है। 62% बालिकाओं (सबसे अधिक) ने माता-पिता की अस्वस्थता को तथा 32% (सबसे अधिक) ने मेहमानों के आने को महत्वपूर्ण कारण माना है। किन्तु 70% अध्यापक घर के कामों में व्यस्तता को महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अध्यापकों का मत अधिक तरक्सिंगत प्रतीत होता है क्योंकि छात्राओं के अनुपस्थिति होने पर दूसरे दिन अध्यापक उनसे अनुपस्थिति का कारण पूछते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों का अनुभव अधिक गहन है।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के झाप आउट की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कक्षा 1 से 3 तक झाप आउट करने वाली बालिकाओं का प्रतिशत बढ़ता है और कक्षा 3 में अधिकतम (22.45%) होकर यह कक्षा 4 व 5 में घटता है कक्षा 5 में यह न्यूनतम (9.7%) है। इससे यह ज्ञात होता है कि जो छात्रायें कक्षा 3 उत्तीर्ण कर लेती हैं उनके लिए इस बात नी सम्भावना बढ़ जाती है कि वे प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर लेगी। संभवतः निम्न आय वर्ग वाले परिवारों से सम्बन्धित होने के कारण, जहों आर्थिक समस्यायें प्रमुख होती हैं,

इन आधिक समस्याओं का सामना करने हेतु जब बालिकायें 9—10 या 11 वर्ष की हो जाती है तब यह समझा जाता है कि उन्हें किसी कारखाने जैसे बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री या अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री अथवा अन्य किसी फैक्ट्री में जहाँ पर बच्चों से काम लिया जाता है, काम में लगाया जा सकता है अथवा घर के कार्यों को इस उम्र की बालिकायें संभाल सकती हैं। ऐसी धारणा इनके अभिभावकों में पायी जाती है। वास्तव में कक्षा 3 में ड्राप आउट का सर्वाधिक प्रतिशत होने के कारण अभिभावकों का यह दृष्टिकोण ही समझ में आता है कि इस उम्र की बालिकायें पढ़ने की अपेक्षा धन अर्जन करने वाले कार्यों में लगा दी जायें अथवा घर के कार्यों को संभाले और छोटे भाई—बहनों की देखभाल करें।

यदि हम छात्राओं की औसत उपस्थिति तथा सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं के प्रतिशत के मध्य सम्बन्ध पर विचार करें तो ज्ञात होता है कि कक्षा 1 व 5 में छात्राओं की औसत उपस्थिति अधिक है तो इन कक्षाओं में सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं का प्रतिशत भी तुलनात्मक रूप से कम है। कक्षा 2, 3 व 4 में औसत उपस्थिति कम है और इन कक्षाओं में (कक्षा 4 को छोड़कर) सत्र के मध्य में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं का पतिशत भी तुलनात्मक रूप से अधिक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपस्थिति तथा ड्राप आउट प्रतिशत में विपरीत सम्बन्ध है।

ड्राप आउट के कारणों का अध्ययन करनें से ज्ञात होता है कि बालिकाओं ने माता—पिता की अस्वस्थता, छोटे भाई—बहनों की देखभाल, घर के कामों में व्यस्तता तथा धनाभाव को सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ देने का कारण बताया। अभिभावकों ने भी माता—पिता की अस्वस्थता, छोटे भाई—बहनों की देखभाल और धनाभाव को कारण माना है। अभिभावकों ने जहाँ सबसे अधिक माता—पिता की अस्वस्थता के कारण को महत्व दिया है वही बालिकाओं और अध्यापकों ने धनाभाव को महत्वपूर्ण कारण माना है। अध्यापकों ने द्वितीय महत्वपूर्ण कारण घर के कामों में व्यस्तता को माना है जो कि धनाभाव से जुड़ा हुआ कारण है।

इसके अतिरिक्त अध्यापकों की दृष्टि में घर से विद्यालय की अधिक दूरी, विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव, विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति/अभाव जैसे कारण भी बतायें हैं।

छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर के प्रति अभिभावकों में कोई जागरूकता नहीं है। इसी प्रकार अधिकांश बालिकाओं (81%) तथा अध्यापकों (30%) में भी इस सन्दर्भ में चेतना का अभाव पाया गया। इसके अतिरिक्त बालिकाओं ने परीक्षा में अनुपस्थिति, घर के कामों में व्यस्तता, शिक्षा में रुचि का अभाव, धन अर्जन हेतु कार्य, बुद्धि की कमी; मॉं की अस्वस्थता जैसे कारणों को महत्व दिया है वही अध्यापकों ने निर्देशन का अभाव, अभिभावकों की उदासीनता, शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति, परिश्रम का अभाव, गरीबी जैसे कारणों को महत्व दिया है।

छात्राओं का आकांक्षा स्तर भी उच्च नहीं है अधिकांश छात्रायें निम्न माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। न केवल छात्रायें अपितु उनके अभिभावकों का आकांक्षा स्तर भी उच्च नहीं है। अधिकांश अभिभावकों ने अपनी बालिकाओं को निम्न माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दिलाने की इच्छा प्रकट की। बालिकाओं के इस निम्न आकांक्षा स्तर का कारण संभवतः उनकी कम आयु तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का होना है। साधारणतः यही देखने में आता है कि समाज के निम्न मध्यम या निम्न वर्ग की बालिकायें निम्न माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जबकि उनके अभिभावक अधिकांशतः अशिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में यह आशा बलवती होती है कि आगे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से और अधिक शिक्षित होगी।

विद्यालय भवन तथा उपकरणों के प्रति बालिकाओं तथा अभिभावकों की सन्तुष्टि के स्तर का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 52% अभिभावक

विद्यालय के भवन, फर्नीचर, शिक्षक, शिक्षण कार्य, शिक्षकों की उपस्थिति, मध्या भोजन, अन्य सुविधायें किसी से भी सन्तुष्ट नहीं है। विद्यालय की इन चीजों के प्रति अभिभावकों ने सामान्यतः निराशा ही प्रकट की है। विद्यालय भवन, फर्नीचर, शिक्षक, शिक्षण कार्य से लगभग 50% बालिकायें सन्तुष्ट हैं। 24% बालिकायें शिक्षकों की उपस्थिति से भी सन्तुष्ट हैं। बालिकाओं के इस प्रत्युत्तर का कारण यह है कि संभवतः उन्हें यह भय था कि यदि वे कोई नकारात्मक उत्तर देगी तो उन्हें उपने अध्यापकों की डांट का सामना करना पड़ेगा। मुझे मात्र दो विद्यालय ऐसे देखने को मिले जहाँ अध्यापक गम्भीरतापूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे थे। कुछ विद्यालय ऐसे भी थे जहाँ केवल एक कमरा या बरामदा था, उसी में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्रायें बैठे थे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में खेल का मैदान, कार्यालय, शोचालय, पीने का पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिषदीय विद्यालयों का भौतिक सर्वेक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इन विद्यालयों के भवन अत्यन्त जर्जर स्थिति में हैं। कुछ विद्यालयों के भवन इतने जर्जर थे कि वे किसी भी समय गिर सकते थे। इसी कारण ऐसे जर्जर भवनों वाले विद्यालय में छात्रों की छुट्टी कर के शिक्षण कार्य को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक विद्यालय ऐसा भी देखने में आया जिसका उल्लेख मात्र कागजों में था इस विद्यालय में एक शिक्षक था जो भवन तथा विद्यार्थियों के अभाव में एक अन्य विद्यालय में उपस्थित था। ऐसा भी देखने में आया कि विद्यालय जिस मोहल्ले के लिए है वह उससे 7-8 किलोमीटर दूर किसी अन्य स्थान पर चल रहा है। एक ही भवन में एक साथ कई विद्यालय चलते देखे गये। ऐसा भी देख गया कि एक भवन में सुबह एक विद्यालय चलता है और दोपहर में दूसरा।

कुल मिलाकर इन परिषदीय विद्यालयों की स्थिति अत्यन्त ही निराशाजनक है। इन विद्यालयों को बन्द करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन विद्यालयों के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य निजी विद्यालयों द्वारा

किया जा रहा और ये विद्यालय निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से सम्बन्धित बालिकाओं की पहुंच के बाहर हैं।

शिक्षण कार्य के उन्नयन हेतु एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि जिस प्रकार राजस्थान और दिल्ली में DIET (1993) योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों के ज्ञानवर्धन हेतु नवीनीकरण कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को कुटीर उद्योग में जोड़ा जाय जिससे अभिभावक आश्वस्त हो सके कि उनके बालक बालिकायें शिक्षोपरांत रोजगार योग्य हो सकेंगे। इससे अभिभावक व छात्र-छात्रायें स्वतः शिक्षा की ओर आकष्ट होंगे। इसका एक सुखद परिणाम यह भी होगा कि शिक्षित बेरोजगारी में कुछ कमी आयेगी साथ ही शिक्षा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेगी। जिससे समाज व सरकार को शिक्षा के लिए व्यय नहीं करना पड़ेगा। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में यही सुझाव दिया है। आज गांधी जी की शिक्षा योजना को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल कर, कार्यान्वित करने की अधिक आवश्यकता है। शिक्षा से यदि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार होत है तभी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी होती है और समाज शिक्षा में रुचि लेता है व उसका व्यय भार उठाने को तत्पर रहता है अन्यथा वह समाज के लिए बोझ बन जाती है। समाज से विमुख शिक्षा पतनोन्मुख हो जाती है। आज की शिक्षा व्यवस्था समाज व राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। अतः शिक्षा में नवीनीकरण व सुधार की अधिक आवश्यकता है। शिक्षा एक ऐसा विनियोग है जिस पर राष्ट्र व समाज का भविष्य निर्भर करता है।

► अग्रिम शोध हेतु सुझावः-

1. परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में कुण्ठा, नैराश्य, दुश्चिंता के स्तर का अध्ययन किया जा सकता है।
2. यह अध्ययन बालिकाओं पर केन्द्रित है इसी प्रकार का अध्ययन बालकों पर भी किया जा सकता है।
3. परिषदीय विद्यालयों के बालक और बालिकाओं, की उपलब्धि, उपस्थिति, अपव्यय व अवरोधन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. परिषदीय विद्यालयों के बालक और बालिकाओं में कुण्ठा, नैराश्य, दुश्चिंता का अध्ययन किया जा सकता है।
5. परिषदीय विद्यालयों के बालक और बालिकाओं में कुण्ठा, नैराश्य, दुश्चिंता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
6. परिषदीय विद्यालयों के बालक और बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्तर का अध्ययन किया जा सकता है।
7. परिषदीय विद्यालयों के बालक और बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
8. इन विद्यालयों की विशिष्ट समस्याओं पर प्रदेश व्यापी अध्ययन किया जा सकता है।
9. प्राथमिक स्तर की बालिकाओं की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, रवीन्द्र : “भारतीय शिक्षा का इतिहास”,
रत्न प्रकाशन मन्दिर,
आगरा।
2. अग्रवाल, बी० पी० : “राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष
की आधुनिक शिक्षा का
आलोचनात्मक अध्ययन”,
अनु बुक्स शिवाजी रोड, मेरठ।
3. अग्रवाल, जे० सी० : “वीमेन एजुकेशन इन
इण्डिया”, कान्सेप्ट
पब्लिसिंग, नई दिल्ली।
4. एलेन, चार्लस एम० : “काबेटिंग दि डॉप आउट प्राब्लम्स”,
शिकागो, साईंस रिसर्च एसोसिएट्स
(1956)।
5. अग्रवाल, बी० बी० : “आधुनिक भारतीय शिक्षा”,
विनोद पुस्तक मन्दिर,
आगरा (1995)।
6. बिलिंगटन, मेरी फँसिस : “वीमेन्स ऑफ इण्डिया”
चैपमैन हाल, लन्दन (1895)।
7. बर्क काफेंस आन लाइफ
एडजस्टमेंट एजुकेशन शिकागो,
(जनवरी 24-27, 1950) : “व्हाये डु ब्याज एण्ड गर्ल्स
डॉप आउट्स आफ स्कूल,
एण्ड व्हाट कैन वी ढू
एबाउट इट?”, यू० स० ए०
गवनमेंट प्रिंटिंग ऑफिस
वाशिंगटन डी० सी०।

8. बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ दि सिटी :“एक्सपेरीमेंट इन गाइडेन्स
ऑफ न्यूयार्क ऑफ पोटेन्शियल आर्ली स्कूल
लीवर्स”। बोर्ड ऑफ एजुकेशन
ऑफ दि सिटी ऑफ न्यूयार्क,
न्यूयार्क (1956) ।
9. बुच, एम० वी० :“ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन
एजुकेशन फर्स्ट,
एडीशन”, 1974,
पब्लिश्ड बाई एम० वी०
बुच, हेड, सेन्टर ऑफ
एडवान्स्ड स्टडी इन
एजुकेशन, एम० एस०
युनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा,
बड़ौदा ।
- :“सेकेंड सर्वे आफ रिसर्च इन
एजुकेशन”, 1972-78 पब्लिश्ड
बाई एम० वी० बुच, ऑन
बिहाफ ऑफ दि सोसाइटी
फार एजुकेशन रिसर्च एण्ड
डिवैलपमेंट, बड़ौदा ।
- :“थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन
एजुकेशन,” 1973-83
पब्लिश्ड बाई नेशनल
काउंसिल आफ एजुकेशनल
रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
- :“फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन
एजुकेशन,” 1983-88

वौल्यूम वन एण्ड टू

पब्लिशड बाई नेशनल

काउंसिल आफ एजुकेशनल

रिसर्च एंड ट्रेनिंग ।

“फिफ्थ सर्वे आफ एजुकेशनल

रिसर्च”, 1988-92 वौल्यूम वन

पब्लिशड बाई नेशनल

काउंसिल आफ एजुकेशनल

रिसर्च एंड ट्रेनिंग ।

10. दास गुप्ता, ज्योति प्रेवा

: “गर्ल्स एजुकेशन इन

इण्डया”, कलकत्ता

विश्वविद्यालय (1938) ।

11. डिलन, हैरोल्ड जे०

: “अर्ली स्कूल लीवर्स - ए मेजर

एजुकेशनल प्राबलम”,

न्यूयार्क, नेशनल चाइल्ड

लेबर कमटी(1949) ।

12 .देसाइ, एन०

: “वीमेन इन मार्डन इण्डया”

वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई (1957) ।

13.डिजरटेशन एब्स्ट्रैक्ट्स

:वौल्यूम 53, 1992-93

:वौल्यूम 48, 1986-87

:वौल्यूम 47, 1986-87

:वौल्यूम 46, 1985-86

यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म्स

इन्टरनेशनल, ए बेल हॉल

इन्फॉरमेशन कम्पनी, मिशीगन,

अमेरिका द्वारा प्रकाशित ।

14. डिपार्टमेन्ट आफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेन्ट, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया विद सोर्ट फाम युनिसेफ
15. गैरट, एच० ई० एण्ड० वुडवर्थ आर० एस०
16. जॉन डीवी
17. जयसवाल, सीताराम
18. जनरल ऑफ इंडिया एशोसिएशन फार एजुकेशन रिसर्च
19. कोवन, मीना जी
20. कैरोलाइन हॉज्स परसेल
- : “एजुकेशन फार आल” डिपार्टमेन्ट आफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेन्ट, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया” (1993)।
- : “शिक्षा और मनाविज्ञान में सांख्यिकी”, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- : “डेमोक्रेसी एण्ड एजुकेशन” लाइट एण्ड लाइफ पब्लिशर्स नयी दिल्ली (1976)।
- : “मध्यमिक शिक्षा सिखान्त”, रेलवे कासिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ (1984)।
- : “वौल्यूम 3, सितम्बर, 1991 वौल्यूम 4, जून, 1992।
- : “एजुकेशन आफ वीमेन आफ इण्डिया”, ओलीफेन्ट एनर्सन एण्ड फेरियर लन्दन (1912)।
- : “एजुकेशन एण्ड इनइक्वेलिटी” दि फ़ी प्रेस, ए डिवीजन आफ मैक्सिलन पब्लिशिंग कम्पनी, न्यूयार्क, कूलियर मैक्सिलन

पब्लिशर्स, लन्दन (1977)।

21. कुमारे, अशोक : “करेन्ट ट्रेण्ड्स इन इण्डियन
एजुकेशन”
आशीष पब्लिशिंग हाउस,
नयी दिल्ली (1991)।
22. कपिल, एच० के० : “अनुसंधान विधियॉ”, हर प्रसाद
भार्गव, कचहरी घाट, आगरा (1992-93)।
23. मदन मोहन : “भारतीय शिक्षा का विकास
और समस्यायें”, कैलाश
प्रकाशन इलाहाबाद (1993-94)।
24. मिश्र, कु० माधवी : “उत्तर प्रदेश में शिक्षा”,
(1858-1900)।
25. नाइन, जे० पी० : “एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन,
इण्डिया”, एशिया पब्लिशिंग
हाउस, बांबे (1966)।
26. नेशनल पॉलिसी ऑफ
एजुकेशन (1986) : “मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
डिवेलपमेंट, गवनमेंट आफ इंडिया
नयी दिल्ली 1996।
27. एन० सी० ई० आर० टी० : “नेशनल सेमिनार आन डी० पी०
ई० पी० स्टडीज”
पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, नेशनल
काउंसिल आफ एजुकेशनल
रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नयी दिल्ली (1994)।
28. पाण्डेय, रामशक्ति : “राष्ट्रीय शिक्षा” विनोद
पुस्तक मन्दिर आगरा (1987)।
29. पाठक, पी० डी० : “भारतीय शिक्षा के आयोग”

- एवं त्यागी जी० एस० डी० विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
30. रिसर्च डिवीजन ऑफ दि नेशनल :“स्कूल ड्रॉप आउट्स”, रिसर्च
एजुकेशन एसोशिएशन ऑफ दि डिवीजन ऑफ दि नेशनल
यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन एसोशिएशन ऑफ
दी यूनाइटेड स्टेट्स,
वाशिंगटन डी० सी० (1952) ।
31. रिसर्च डिवीजन, नेशनल एजुकेशन :“हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स”,
एसोशियेशन ऑफ यू० एस० रिसर्च डिवीजन, नेशनल
एजुकेशन एसोशियेशन ऑफ
दि यूनाइटेड स्टेट्स,
वाशिंगटन डी० सी० (1959) ।
32. रस्तोगी, के० जी० :“भारतीय शिक्षा का विकास
एवं समस्यायें” रस्तोगी
पब्लिकेशन्स, भेरठ ।
33. रस्तोगी, कृष्ण गोपाल एवं :“भारतीय शिक्षा का विकास एवं
मित्तल, एम० एल समस्यायें”, रस्तोगी
पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड,
भेरठ (1991) ।
34. सेन, टी० एम० :“हिस्ट्री ऑफ एलीमेन्ट्री
एजुकेशन इन इंडिया”,
कलकत्ता बुक कम्पनी (1943) ।
35. सेन, गुप्ता, पद्मिनी :“वीमेन एजुकेशन इन
इण्डिया”, शिक्षा मन्त्रालय,
नई दिल्ली (1960) ।
36. सोलोमन ओ० लिटर; एलसी बी० :“दि ड्रॉप-आउट्स”दि फ़ी प्रेस,
रैपियन; फान्सिस एम० सीबर्ट; न्यूयार्क, कूलियर-मैक्सिलन

- मौरिस ए0 रक्लेन्शकी
लिमिटेड, लंदन (1968)।
37. सेन, एन0 बी0
:“प्रोग्रेस ऑफ वीमेन
एजुकेशन इन फी
इण्डिया”, न्यु बुक
सोसाइटी ऑफ इण्डिया,
नई दिल्ली (1969)।
38. सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट
वौल्यूम 20, 1972
39. सिंह, सत्य प्रकाश
:“भारतीय शिक्षा के आयाम”,
सुविज्ञ प्रकाशन, देवरिया (1983)।
40. शुक्ला पी0 डी0
:“टुवार्ड्स दि न्यू पैटर्न आफ
एजुकेशन इन इण्डिया” (1987)।
41. सुखवाल, घनश्याम
:“राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के
सन्दर्भ में :राजस्थान में
शिक्षा (सम्प्रति एवं
सम्भावनाएं)”, अंकुर
प्रकाशन, उदयपुर (1991)।
42. साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट
वौल्यूम 79, 1992
वौल्यूम 78, 1991
अमेरिकन साइकोलॉजिकल
एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित।
43. सिद्धकी, मुजिबुल हसन
:“वीमेन एजुकेशन, ए रिसर्च
एपरोच” आशीष पाल्लिसिंग
हाउस, नई दिल्ली (1993)।
44. टेजरनीर, आर0 ए0 एण्ड एल0
एम0 टेजरनीर,
:“रिव्यू ऑफ दि लिटरेचर
ऑन स्कूल डॉप
आउट्स”, बुलेटिन

ऑफ दि नेशनल एसोशियेशन
ऑफ सेकेण्डरी स्कूल
प्रिसिपल, 42, 141-53 (मई, 1958) ।

45. वर्मा, प्रीती एवं श्रीवातव, डी०
एन० : “मनोविज्ञान और शिक्षा में
संख्यकी”, विनोद पुस्तक
मन्दिर आगरा (1982) ।
46. डब्ल्यू० डब्ल्यू० नारटन
एण्ड दि कम्पनी न्यूयार्क । : “साइकोएनालिस्स एण्ड दि
एजुकेशन ऑफ दि चाइल्ड”,
डब्ल्यू० डब्ल्यू० नारटन
एण्ड दि कम्पनी न्यूयार्क ।

समाचार पत्र एवं पत्रिकायें

1. अमर उजाला (3 अक्टूबर, 1993) : कानपुर संस्करण,
अमर उजाला प्रेस,
कानपुर द्वारा प्रकाशित।
3. दैनिक आज (13 फरवरी, 1994) : कानपुर संस्करण,
आज प्रेस, कानपुर द्वारा
प्रकाशित।
4. दैनिक जागरण (13 नवम्बर, 1997) : कानपुर संस्करण,
दैनिक जागरण प्रेस,
कानपुर द्वारा प्रकाशित।
5. दैनिक जागरण (23 नवम्बर, 1997) : कानपुर संस्करण
6. दैनिक आज (24 नवम्बर, 1997) : कानपुर संस्करण
7. दैनिक जागरण (29 अगस्त, 1997) : कानपुर संस्करण
8. हिन्दुस्तान (5 फरवरी, 1995) : लखनऊ संस्करण,
हिन्दुस्तान प्रेस, लखनऊ
द्वारा प्रकाशित।
9. मनोरमा इयर बुक 1991
10. स्वतंत्र भारत (23 दिसम्बर, 1995) : कानपुर संस्करण,
स्वतंत्र भारत प्रेस,
कानपुर द्वारा
प्रकाशित।
11. युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन,
सी ई सी (मार्च 1993/10000) : युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स
कमीशन, नयी दिल्ली
द्वारा प्रकाशित।

परिशिष्ठ

प्रश्नावली (अध्यापकों हेतु)

सामान्य जानकारी

नाम -	आयु -
शैक्षिक स्थिति -	मासिक आय -
निवास स्थान -	

प्रश्न

1. आपके के विचार से बालिकाओं की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं ?

- (क) मेहमानों का आना
- (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल
- (ग) माता-पिता की अस्वस्थता
- (घ) घर के कामों में व्यस्तता
- (ङ) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
- (च) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
- (छ) विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव
- (ज) धनाभाव
- (झ) छात्राओं में रुचि का अभाव
- (झ) धन अर्जन हेतु कार्य
- (ट) अन्य कारण

2. आपके के विचार से बालिकाओं द्वारा सत्र के मध्य पढ़ाई छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

- (क) माता-पिता की अस्वस्थता

- (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल
- (ग) घर के कामों में व्यस्तता
- (घ) धनाभाव
- (ङ.) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
- (च) विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव
- (छ) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
- (ज) अन्य कारण

3. आपके विचार से बालिकाओं की उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने के क्या कारण हैं ?

- (क) परीक्षा में अनुपस्थित
- (ख) घर के कामों में व्यस्तता
- (ग) शिक्षा में खचि का अभाव
- (घ) धन अर्जन हेतु कार्य
- (ङ.) मॉ की अस्वस्थता
- (च) बुद्धि की कमी
- (छ) निर्देशन का आभाव
- (ज) अभिभावकों की उदासीनता
- (झ) शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति
- (ञ) परिश्रम का अभाव
- (ट) गरीबी
- (ठ) नहीं मालूम

प्रश्नावली (अभिभावकों हेतु)

सामान्य जानकारी

नाम -	आयु -
शैक्षिक स्थिति -	व्यवसाय -
मासिक आय -	निवास स्थान -

प्रश्न

1. आप के विचार से बालिकाओं की विद्यालय से अनुपस्थिति के क्या कारण हैं?
- (क) मेहमानों का आना
 - (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल
 - (ग) माता-पिता की अस्वस्थता
 - (घ) घर के कामों में व्यस्तता
 - (ङ.) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
 - (च) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
 - (छ) विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव
 - (ज) धनाभाव
 - (झ) छात्राओं में रुचि का अभाव
 - (ज) धन अर्जन हेतु कार्य
 - (ट) अन्य कारण

2. आपके विचार से बालिकाओं द्वारा सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

- (क) माता-पिता की अस्वस्थता
- (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल
- (ग) घर के कामों में व्यस्तता
- (घ) धनाभाव
- (ड.) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
- (च) विद्यालय में प्रोत्साहन का आभाव
- (छ) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
- (ज) अन्य कारण

3.आपके विचार से बालिकाओं की उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने के क्या कारण हैं ?

- (क) परीक्षा में अनुपस्थिति
- (ख) घर के कामों में व्यस्तता
- (ग) शिक्षा में सचिका का अभाव
- (घ) धन अर्जन हेतु कार्य
- (ड.) मौं की अस्वस्थता
- (च) बुद्धि की कमी
- (छ) निर्देशन का अभाव
- (ज) अभिभावकों की उदासीनता
- (झ) शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति
- (अ) परिश्रम का अभाव
- (ट) गरीबी
- (ठ) नहीं मालूम

4.आप अपनी बालिकाओं को किस स्तर तक शिक्षा दिलाना चाहते हैं ?

- (क) प्राथमिक स्तर

- (ख) जूनियर हाईस्कूल स्तर
- (ग) निम्न माध्यमिक स्तर
- (घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर
- (ङ.) स्नातक स्तर
- (च) परास्नातक स्तर

5.आप विद्यालय की निम्न में से किन चीजों से सन्तुष्ट हैं ?

- (क) विद्यालय भवन
- (ख) विद्यालय का फर्नीचर
- (ग) विद्यालय के शिक्षक
- (घ) शिक्षण कार्य
- (ङ.) शिक्षकों की उपस्थिति
- (च) मध्या भोजन
- (छ) अन्य सुविधायें
- (ज) किसी चीज से नहीं

प्रश्नावली (बालिकाओं हेतु)

सामान्य जानकारी

नाम	-	आयु -
कक्षा	-	माता-पिता का व्यवसाय -
परिवारिक मासिक आय -		निवास-स्थान (मोहल्ला) -

प्रश्न

1. आपकी विद्यालय से अनुपस्थिति के क्या कारण हैं ?

- (क) भेहमानों का आना
- (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल
- (ग) माता-पिता की अस्वस्थता
- (घ) घर के कामों में व्यस्तता
- (ड.) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
- (च) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
- (छ) विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव
- (ज) धनाभाव
- (झ) शिक्षा में रुचि का अभाव
- (ञ) धन अर्जन हेतु कार्य
- (ट) अन्य कारण

2. आप के विचार से बीच में पढ़ाई छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

- (क) माता-पिता की अस्वस्थता
- (ख) छोटे भाई-बहनों की देखभाल

- (ग) घर के कामों में व्यस्तता
- (घ) धनाभाव
- (ड.) घर से विद्यालय की अधिक दूरी
- (च) विद्यालय में प्रोत्साहन का अभाव
- (छ) विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति
- (ज) अन्य कारण

3. आपकी उपलब्धि का स्तर संतोषजनक न होने के क्या कारण हैं ।

- (क) परीक्षा में अनुपस्थिति
- (ख) घर के कामों में व्यस्तता
- (ग) शिक्षा में रुचि का अभाव
- (घ) धन अर्जन हेतु कार्य
- (ड.) मॉ की अस्वस्थता
- (च) बुद्धि की कमी
- (छ) निर्देशन का अभाव
- (ज) अभिभावकों की उदासीनता
- (झ) शिक्षकों व छात्रों की अनुपस्थिति
- (ज) परिश्रम का अभाव
- (ट) गरीबी
- (ठ) नहीं मालूम

4. आप किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं ?

- (क) प्राथमिक स्तर
- (ख) जूनियर हाईस्कूल स्तर
- (ग) निम्न माध्यमिक स्तर
- (घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर
- (ड.) स्नातक स्तर
- (च) परास्नातक स्तर

5. आप विद्यालय की निम्न में से किन चीजों से सन्तुष्ट हैं ?

- (क) विद्यालय भवन
- (ख) विद्यालय का फर्नीचर
- (ग) विद्यालय के शिक्षक
- (घ) शिक्षण कार्य
- (ड.) शिक्षकों की उपस्थिति
- (च) मध्या भोजन
- (छ) अन्य सुविधाये
- (ज) किसी चीज से नहीं